डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-23, अंक-01, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित
23 जुलाई 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

स्वच्छ सर्वेक्षण में सात शहरों को राष्ट्रीय पुरस्कार

स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किया गया, इसके मूल्यांकन में 14 करोड़ लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ के सात नगरीय निकायों को स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया।

भारत सरकार द्वारा हर साल किए जाने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण के माध्यम से देश के कस्बों, शहरों और गांवों में स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत जनवरी 2016 में की गई थी, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले 53 शहरों सहित कुल 73 शहर शामिल थे। इसमें सेवा स्तर, स्वतंत्र निरीक्षण और नागरिक प्रतिक्रिया के आधार पर आकलन किया जाता है। वहीं ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण मई 2016 में शुरू हुआ, जिसमें 22 पहाड़ी और 53 मैदानी जिलों को शामिल कर स्वच्छ जल, शौचालय की सुलभता, कचरा प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन जैसे मापदंडों पर मूल्यांकन किया गया। सरकार का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन को गति देना है।

सफाई में छत्तीसगढ़ के सात शहरों को मिला पुरस्कार

रायपुर की बड़ी छलांग, 11 से 4 नंबर पर आया,
मझोले शहरों में बिलासपुर दूसरा; सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर 8वीं बार टॉप पर

सुपर स्वच्छता लीग में तीन शहरों का चयन

- अंबिकापुर नगर निगम
(50 हजार से तीन लाख जनसंख्या)
- पाटन नगर पंचायत
(20 हजार से कम जनसंख्या)
- बिश्रामपुर नगर पंचायत
(20 हजार से कम जनसंख्या)

प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित तीन नगरीय निकाय

- बिलासपुर नगर निगम
(बड़े शहरों की श्रेणी) 3 से 10 लाख आबादी
- कुम्हारी नगर पालिका
(मध्यम शहरों की श्रेणी) 20 से 50 हजार आबादी
- बिल्हा नगर पंचायत
(छोटे शहरों की श्रेणी) 20 हजार से कम आबादी

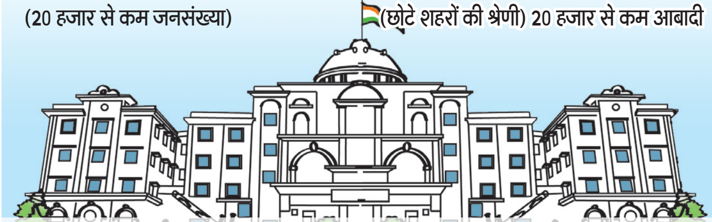

रायपुर को मिला मिनिस्ट्रियल अवार्ड

रायपुर नगर निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में नवाचार और क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्रियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार: टॉप 3 शहर

अहमदाबाद	भोपाल	लखनऊ
देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित	पिछले साल 5वें स्थान से अब दूसरे स्थान पर	44वें स्थान से सीधे तीसरे स्थान पर पहुँचा

स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत

स्वच्छ सर्वेक्षण (Swachh Survekshan) भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs – MoHUA) द्वारा वर्ष 2016 से प्रारंभ किया गया था। इसकी शुरुआत 73 शहरी स्थानीय निकायों से हुई थी, जो अब बढ़कर 4,500 से अधिक शहरों तक पहुँच चुकी है। 2024–25 का सर्वेक्षण "रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल (3R)" थीम पर केंद्रित है। इसमें 3,000 से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं ने 45 दिनों तक देश भर के प्रत्येक वार्ड में गहन निरीक्षण किया।

राष्ट्रीय स्तर पर गर्व की बात

"छत्तीसगढ़ के सात नगरीय निकायों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन होना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। यह हमारी स्वच्छता नीति, नागरिकों की सहभागिता और स्थानीय निकायों के समर्पण का प्रतिफल है।"

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

बस्तर में बदलाव

45 नक्सलियों का आत्मसमर्पण

सुकमा में 1.18 करोड़ रुपए के इनामी 23 नक्सलियों सहित 24 घंटे में कुल 45 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास जताया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इसे विकास की जीत बताया और कहा कि 'बंदूक की गोली नहीं, अब विकास की बोली गूंज रही है।' बीते 15 महीनों में 1521 नक्सलियों ने हिंसा का मार्ग त्यागा है। यह सफलता राज्य की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति और केंद्र सरकार के सुशासन की दिशा में ठोस प्रयासों का परिणाम है।

इंटरनेशनल स्प्रिंट मीट

अनिमेष कुजूर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड

ग्रीस के एथेंस में आयोजित ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट मीट में छत्तीसगढ़ के धावक अनिमेष कुजूर ने 100 मीटर दौड़ मात्र 10.18 सेकेंड में पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बधाई देते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ और देश के लिए गर्व का क्षण है। इससे पहले अनिमेष ने दक्षिण कोरिया में 200 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनिमेष की उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत है।

बायपास मार्ग

पुनर्निर्माण हेतु ₹63.13 करोड़ का

कोनी-मोपका बायपास मार्ग (13.40 कि.मी.) के नवीनीकरण हेतु 6313.03 लाख रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वर्ष 2010–2016 के बीच बने इस मार्ग पर अत्यधिक ट्रैफिक दबाव और जलभराव से क्रस्ट और सब-ग्रेड क्षतिग्रस्त हो गए हैं। औद्योगिक इकाइयों व भारी वाहनों की आवाजाही से मार्ग की स्थिति खराब हो चुकी है। पूर्व में 2191.93 लाख रुपए की लागत से बना यह मार्ग अब फोरलेन में परिवर्तित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में उत्कृष्ट विधायकों और पत्रकारों का अलंकरण समारोह संपन्न

छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में "उत्कृष्टता अलंकरण समारोह" भव्य और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। छठवीं विधानसभा के लिए निर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम पर केन्द्रित पुस्तिका का विमोचन किया गया। समारोह में राज्यपाल श्री रमेन डेका मुख्य अतिथि, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह अध्यक्ष और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।

उत्कृष्ट विधायक सम्मान

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा -"विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। यहां जनहित के मुद्दों को उठाना विधायकों का धर्म है। मीडिया इस धर्म की निगरानी करने वाला सजग प्रहरी है।"

उत्कृष्ट विधायक सम्मान

वर्ष 2024 के लिए श्रीमती भावना बोहरा और श्री लखेश्वर बघेल को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया।

संसदीय रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार

डॉ. राकेश कुमार पाण्डेय (दैनिक भास्कर), श्री योगेश मिश्रा (सुदर्शन न्यूज) और श्री विश्वप्रकाश पुरेना (कैमरामेन) को उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया।

जूडो चैंपियनशिप

रंजीता ने रचा स्वर्णिम इतिहास

कोण्डागांव की रंजीता कोरेटी ने ताईवान में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए इसे राज्य के लिए गौरव का क्षण बताया। उसने राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता प्राप्त की।

श्री रामलला दर्शन योजना

सांस्कृतिक चेतना को मिली नई उड़ान, रायपुर से रवाना हुई विशेष तीर्थ ट्रेन

22,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए अयोध्या दर्शन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर प्रारंभ हुई 'श्री रामलला दर्शन योजना' के अंतर्गत अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालु प्रभु श्रीराम के जन्मस्थान अयोध्या धाम के दर्शन कर चुके हैं। सरकार द्वारा मार्च 2024 तक 20,000 श्रद्धालुओं को भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो अब पार हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तीर्थ ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इस ट्रेन में रायपुर संभाग के 850 श्रद्धालु प्रभु श्रीराम के दर्शन हेतु रवाना हुए।

शुभारंभ
5 मार्च 2024
वर्ष 2025-26 का बजट
₹36 करोड़
अब तक रवाना ट्रेनें
27 विशेष ट्रेनें
यात्रियों की संख्या
22,000+ श्रद्धालु
दर्शन स्थल
अयोध्या धाम +काशी विश्वनाथ

जनता को समर्पित

छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @2047

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने "छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @2047" जनता को समर्पित करते हुए कहा कि यह दस्तावेज आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य के निर्माण का संकल्प है। 13 क्षेत्रों में 10 मिशनों के माध्यम से संतुलित विकास होगा। जीडीपी को 75 लाख करोड़ और किसानों की आय को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉजिस्टिक्स, आईटी और पर्यटन में नवाचारों के साथ रोजगार व निवेश बढ़ाने की कार्ययोजना तैयार है। जनता की भागीदारी से यह सपना साकार होगा। भारत@2047 के संकल्प से प्रेरित है।

पिक ऑफ द वीक

चित्रकोट जलप्रपात

छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इन्द्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। 90 फीट ऊँचाई वाले यह जलप्रपात वर्षा के दिनों में यह रक्त लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों की चाँदनी रात में यह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। 'भारतीय नियाग्रा' के नाम से प्रसिद्ध चित्रकोट प्रपात वैसे तो प्रत्येक मौसम में दर्शनीय है, परंतु वर्षा ऋतु में इसे देखना अधिक रोमांचकारी अनुभव होता है।

जॉब अलर्ट

आरआरबी
पदः टेक्नीशियन
पद संख्याः 6180
अंतिम तिथिः 28 जुलाई
rrapply.gov.in

सीजी अग्निशमन विभाग
पदः ड्राइवर सहित अन्य
पद संख्याः 295
अंतिम तिथिः 31 जुलाई
ceghged.gov.in

गुवाहाटी हाईकोर्ट
पदः जू. एडमिनिस्ट्रेटिव असि.
पद संख्याः 367
अंतिम तिथिः 31 जुलाई
www.sghconline.gov.in

जामिया मिलिया
पदः नॉन टीचिंग
पद संख्याः 143
अंतिम तिथिः 31 जुलाई
http://jmi.ac.in/

रीट्स
पदः डिप्टी जनरल मैनेजर
पद संख्याः 18
अंतिम तिथिः 31 जुलाई
http://www.rites.com/

यूपीएससीबी
पदः असिस्टेंट इंजीनियर
पद संख्याः 57
अंतिम तिथिः 7 अगस्त
Bridgecorpor tionltd.com/

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
पदः खाद्य सुरक्षा अधिकारी
पद संख्याः 67
अंतिम तिथिः 10 अगस्त
mppsc.mp.gov.in

छत्तीसगढ़ राज्य में "प्रथम"

राज्यपाल
दिनेश नंदन सहाय
(1/11/2000 से 1/06/2003)

महिला राज्यपाल
आनंदीबेन पटेल
(15/08/2018 से 28/07/2019)

मुख्यमंत्री
अजीत प्रमोद कुमार जोगी
(1/11/2000 से 7/12/2003)

विधानसभा अध्यक्ष
राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल
(14/12/2000 से 19/12/2003)

प्रतिपक्ष
नंद कुमार साय
(14/12/2000 से 5/12/2003)

संसदीय कार्य मंत्री
रविन्द्र चौबे
(14/12/2000 से 5/12/2003)

सचिव
टी.पी.शर्मा
(01/11/2000 से 31/01/2001)

स्रोत : https://cgvidhansabha.gov.in/

छत्तीसगढ़ ने शिक्षा के क्षेत्र में रचा नया इतिहास स्थानीय भाषाओं में शिक्षा बन रही आमजन की ताकत

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का प्रेरणादायक संदेश, शिक्षा ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित पीएसवाय उत्कृष्टता सम्मान समारोह में प्रतिभावान छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने कहा, "शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है और किसी भी क्षेत्र में सफलता का मूल आधार शिक्षा ही है।" मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अब शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।

15 से अधिक मेडिकल कॉलेज

राज्य में अब शिक्षा के अवसर पहले की तुलना में कहीं अधिक सुलभ हो गए हैं। जहां एक समय छत्तीसगढ़ में केवल एक मेडिकल कॉलेज था, वहीं आज राज्य में 15 से अधिक मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। साथ ही, IIT, IIM, NIT और AIIMS जैसे शीर्ष राष्ट्रीय संस्थान भी राज्य में सक्रिय हैं। गांव-गांव में स्कूल और महाविद्यालयों की स्थापना कर छात्रों को उनके घर के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य लगातार जारी है।

नई शिक्षा नीति से बदली तस्वीर

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वर्ष 2020 में लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। अब प्रदेश में छात्रों को उनकी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जा रही है। बस्तर जैसे दूरस्थ आदिवासी अंचलों में स्थानीय बोली में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। साथ ही, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई भी अब हिंदी में हो रही है।

छात्रों को मिली प्रेरणा की नई ऊर्जा

छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है और यह समय हमारे युवाओं के लिए आत्मविश्लेषण और आत्मविकास का है। उन्होंने अपने जीवन की स्मृति साझा करते हुए बताया कि उन्हें पांचवीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा था क्योंकि उनके गांव में परीक्षा केंद्र नहीं था।

संस्था दे रही प्रतिभाओं को मंच

कार्यक्रम में उपस्थित विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से न केवल विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को एक साझा मंच भी प्राप्त होता है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से छात्रों को बहुभाषी और बहुविध कौशलों से युक्त बनाया जा रहा है।

कलाकारों और शिक्षाविदों को सम्मान

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को भी सम्मानित किया गया।

रोजगार और नियोजन
प्रधान संपादक
डॉ. रवि मित्तल
संपादक
जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक
गीतांजलि नेताम
संपादकीय
संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइन-इलेस्ट्रेशन
धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर
अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था
विक्रांत ताम्रकार
- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com
रोजगार और नियोजन निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने है। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

रेलवे में अप्रेंटिस के 374 पदों पर भर्ती, 5 अगस्त तक करें आवेदन

भारतीय रेलवे के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में अप्रेंटिस के 374 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इनमें आईटीआई श्रेणी के 300 और गैर-आईटीआई श्रेणी के 74 पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2025 है। आईटीआई श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र अनिवार्य है, जबकि गैर-आईटीआई श्रेणी के लिए 10वीं में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इच्छुक उम्मीदवार apprenticeblw.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

CCRAS में 394 पदों पर भर्ती 1 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन

सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस (CCRAS) ने एलडीसी, स्टेनोग्राफर सहित विभिन्न श्रेणियों के कुल 394 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2025 से शुरू होकर 31 अगस्त 2025 तक चलेगी। शैक्षणिक योग्यता पदानुसार 10वीं, 12वीं, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर निर्धारित की गई है। कुछ पदों के लिए कार्यानुभव भी आवश्यक होगा। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित है। अभ्यर्थी CCRAS की आधिकारिक वेबसाइट www.ccras.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

रेलवे में तकनीशियन के 6180 पदों पर भर्ती, आवेदन 28 जुलाई तक

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने तकनीशियन के कुल 6180 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक अभ्यर्थी 28 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यताः ग्रेड-1 पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास बीएससी, डिप्लोमा, अथवा इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। ग्रेड-3 पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई या अप्रेंटिस प्रशिक्षण निर्धारित है। आवेदन प्रक्रियाः आवेदन रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है।

एमपी में प्राइमरी टीचर के 10,150 पदों पर भर्ती

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राइमरी टीचर के 10,150 पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर संचालित की जाएगी। इस भर्ती में डीएलएड या बीएलएड धारक उम्मीदवार पात्र हैं। बीएड धारक उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में पात्र नहीं माने जाएंगे। भर्ती परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2025 से दो पालियों में किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in अवश्य देखें जा सकते है।

छत्तीसगढ़

Axiom-4 मिशन, शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने Axiom-4 मिशन की सफलता और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय के रूप में शुभांशु की यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक है। यह क्षण पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुभांशु शुक्ला की यह ऐतिहासिक उड़ान भारत के युवाओं के सपनों को नई ऊंचाई देगी और अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे भविष्य को सशक्त बनाएगी।

स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक विस्तार 151 नए वाहन रवाना

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 151 नए स्वास्थ्य वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल राज्य के दूरस्थ अंचलों तक सुलभ चिकित्सा सुविधा पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम है। बस्तर और सरगुजा के 12 जिलों में पहले चरण में वाहन भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द ही प्रदेश को 851 नई एंबुलेंस मिलेंगी। 'जन मन योजना' के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 30 एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।

टीटीएफ कोलकाता में छत्तीसगढ़ पर्यटन की प्रभावशाली भागीदारी

कोलकाता में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (टीटीएफ) में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा और प्रबंध संचालक श्री विवेक आचार्य ने छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों और योजनाओं की जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के टूर ऑपरेटर्स से राज्य को अपने पैकेज में शामिल करने का आग्रह किया गया। छत्तीसगढ़ को 'अनदेखा भारत' बताते हुए स्थायी सूचना केंद्र की स्थापना की जानकारी भी दी गई।

इको टूरिज्म की अवधारणा से संचालित होगा सिद्धखोल जलप्रपात

जिला मुख्यालय बलौदाबाजार से करीब 40 किमी की दूरी पर स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सिद्धखोल जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने पहल की गई है। वनमण्डलाधिकारी गणवीर धम्मशील ने सौंदर्य से भरपूर इस जलप्रपात का निरीक्षण कर परिक्षेत्र अधिकारी सोनाखान को कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया है। वनमंडल अधिकारी बताया कि सिद्धखोल जलप्रपात में पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधाएं विकसित करने वन विभाग एवं वन प्रबंधन समिति कुकरिकोना द्वारा नए नए प्रयास किए जा रहे है।

सीएम आईटी फेलोशिप के तहत एआई और डेटा साइंस में कर सकेंगे एमटेक

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डेटा साइंस की पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ सरकार हर महीने 50 हजार रुपये की सहायता देगी। ट्रिपल आईटी में इस शैक्षणिक सत्र से एआई एंड डेटा साइंस (डीएसएमआई) में एमटेक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। यह विशेष कार्यक्रम मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप योजना के अंतर्गत संचालित होगा। इसमें चयनित युवाओं की ट्यूशन फीस राज्य सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही प्रति माह 50 हजार रुपये का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। इस कोर्स में केवल छत्तीसगढ़ के युवा ही भाग ले सकेंगे।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की OTS-2 योजना को मिली ऐतिहासिक सफलता

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने विधानसभा में बताया कि गृह निर्माण मंडल की वन टाइम सेटलमेंट योजना (OTS-2) से 920 संपत्तियों के विक्रय से 139.47 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। योजना के तहत संपत्तियों पर 10% से 30% तक की छूट दी गई थी। मंडल अब पूर्णतः ऋणमुक्त हो गया है। मंत्री ने कहा कि भविष्य में 60% प्री-बुकिंग होने पर ही नई योजनाओं की शुरुआत होगी। मंडल कॉरपोरेट मॉडल के तहत आमजन को किफायती व गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराएगा।

आठ घंटे पहले तैयार होगा ट्रेनों का चार्ट रायपुर में 14 जुलाई से लागू

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों का आरक्षण चार्ट अब प्रस्थान से 8 घंटे पहले जारी करने का निर्णय लिया है। यह नई व्यवस्था रायपुर मंडल में 14 जुलाई से लागू हो गई है। सुबह 5 से दोपहर 2 बजे तक छूटने वाली ट्रेनों का चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे तक तैयार होगा। अन्य ट्रेनों का चार्ट भी रवाना होने से 8 घंटे पूर्व जारी किया जाएगा। ई-क्यू आरक्षण आवेदन एक दिन पहले देना अनिवार्य होगा।

मलेरिया पर निर्णायक वार, 61.8% बिना लक्षण मरीजों की समय पर पहचान

छत्तीसगढ़ सरकार के मलेरिया मुक्त अभियान के 12वें चरण में 1.39 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई, जिनमें 1884 मलेरिया पॉजिटिव केस मिले। इनमें 61.8% मरीज बिना लक्षण के थे। दंतेवाड़ा और सुकमा जैसे दूरस्थ जिलों में भी प्रभावी स्क्रीनिंग और इलाज से संक्रमण की श्रृंखला तोड़ी गई। मुख्यमंत्री ने इसे निर्णायक सफलता बताया। घर-घर स्क्रीनिंग, मच्छरदानी वितरण और जागरूकता अभियानों से यह मॉडल जनस्वास्थ्य की दिशा में मिसाल बनता जा रहा है।

बस्तर का हर गांव बनेगा 'आपका अच्छा गांव': मुख्यमंत्री श्री साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर में बीजापुर जिले से आए युवाओं से आत्मीय मुलाकात की। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत राजधानी भ्रमण पर आए 100 युवाओं से मुख्यमंत्री ने संवाद किया और उनके अनुभव सुने। युवाओं ने बताया कि गांवों में सड़क, बिजली, आंगनबाड़ी की सुविधाएं बढ़ी हैं। एक युवा पंच की कहानी सुनकर मुख्यमंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया।

छत्तीसगढ़ में गैस नेटवर्क को मिलेगी रफ्तार

उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पूरी से मुलाकात कर नागपुर-झारसुगुड़ा नेचुरल गैस पाइपलाइन कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का आग्रह किया। 692 किमी में से 690 किमी कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, भिलाई जैसे शहरों को सिटी गैस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

स्रोत : https://dprcg.gov.in/

राष्ट्रीय

सचदेवा मप्र हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश

जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वे अब तक वहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस विभु बखरू को कर्नाटक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं, पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अशुतोष कुमार को अब गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।

मराठा काल के 12 किले वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल

मराठा काल के 12 किलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इनमें महाराष्ट्र के 11 किले हैं। वहीं, तमिलनाडु का एक जिंजी किला भी सूची का हिस्सा है। सभी किले 17वीं से 19वीं सदी के बीच बने थे। महाराष्ट्र के 11 किलों में सिंधु और शिवनेरी जैसी किले शामिल हैं। रायगढ़ दुर्ग जहां छत्रपति शिवाजी का राजतिलक हुआ था, भी इस सूची में है। इसके अलावा सालहेर, लोहगढ़, खंडेरी, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजय दुर्ग किले शामिल हैं। पेरिस में यूनेस्को की 47वीं बैठक में इस लिस्ट का ऐलान किया गया। अब भारत की कुल 44 धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गई हैं।

गणेशोत्सव अब महाराष्ट्र का राज्य उत्सव घोषित

गणेशोत्सव को अब महाराष्ट्र का राजकीय उत्सव घोषित किया गया है। सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने विधानसभा में यह घोषणा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत 1893 में लोकमान्य तिलक ने की थी। यह उत्सव सामाजिक, राष्ट्रीय और भाषाई गौरव से गहराई से जुड़ा हुआ है, और आज भी वही भावना इसके पालन में दिखाई देती है।

पारंपरिक ज्ञानः ई-लाइब्रेरी वाला पहला देश बना भारत

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा में एआई के उपयोग पर तकनीकी रिपोर्ट जारी की है। संगठन ने माना है कि भारत ने पारंपरिक चिकित्सा और एआई को जोड़ने की दिशा में दुनिया को राह दिखाई है। भारत की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी को डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक मॉडल बताया है।

इसरो ने गगनयान प्रणोदन प्रणाली का सफल परीक्षण किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए सर्विस मॉड्यूल प्रणोदन प्रणाली (SMPS) का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने एसएमपीएस के दो अल्पकालिक 'हॉट टेस्ट' (ताप परीक्षण) 3 जुलाई को महेंद्रगिरी स्थित प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किए। इसरो के अनुसार, इन परीक्षणों से गगनयान मिशन की अंतरिक्ष उड़ान की तैयारियों को गति मिलेगी। हॉट टेस्ट क्रमशः 30 सेकंड और 100 सेकंड की अवधि के लिए किए गए, जिनमें प्रणोदन प्रणाली के प्रदर्शन और विश्वसनीयता की पुष्टि हुई।

डीआरडीओ-वायुसेना ने किया 'अस्त्र' मिसाइल का सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) तथा भारतीय वायुसेना ने हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAM) 'अस्त्र' का सफल परीक्षण किया। स्वदेशी 'रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) लक्ष्य खोजक से युक्त 'अस्त्र' का परीक्षण ओडिशा तट के पास भारतीय फाइटर जेट सुखोई-30 MKI से किया गया।

पहली बार महिला के हाथों में हिंदुस्तान यूनिलीवर की कमान

प्रिया नायर ने मेहनत, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के दम पर इतिहास रच दिया है। वे हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला सीईओ और एमडी बनेंगी। यह नियुक्ति न सिर्फ उनके शानदार करियर की पहचान है, बल्कि यह भारतीय कॉरपोरेट जगत में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और संभावनाओं का भी प्रतीक है।

डीजीसीए ने उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के लिए 'रैंकिंग' प्रणाली शुरू की

नागर विमानन महानिदेशालय ने देश में पायलट प्रशिक्षण गतिविधियों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा में सुधार के प्रयासों के तहत उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के लिए 'रैंकिंग' प्रणाली शुरू की है। यह कदम उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) के विमानों से जुड़ी विभिन्न घटनाओं और स्पष्ट खामियों की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। डीजीसीए ने बयान में कहा कि 'रैंकिंग' प्रणाली एक अक्टूबर, 2025 से लागू की जाएगी।

असीम घोष बनाए गए हरियाणा के राज्यपाल

नई दिल्ली, पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ नेता पी. अशोक गजपति राजू गोवा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। वे मौजूदा राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई की जगह लेंगे, जो 15 जुलाई 2021 को इस पद पर नियुक्त हुए थे। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेता असीम घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

दुनिया के शीर्ष 10 ग्लोबल टैलेंट हब में बेंगलुरु शामिल

दुनिया के प्रमुख टेक टैलेंट हब में भारत का बेंगलुरु शीर्ष 10 शहरों में शामिल हुआ है। कोलियर्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, एशिया-प्रशांत क्षेत्र से बीजिंग और टोक्यो सहित दो अन्य शहर भी इस सूची में हैं। यह रिपोर्ट दुनिया के 200 से अधिक वैश्विक बाजारों का विश्लेषण करने के बाद तैयार की गई है।

अंतरराष्ट्रीय

चीन के रोबोट डॉग ने 100 मीटर की दौड़ 13.17 सेकंड में पूरी की

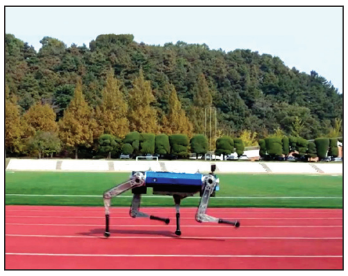

चीन की स्टार्टअप कंपनी 'मिरर मौ' द्वारा बनाए गए रोबोट डॉग 'ब्लैक पैंथर-2' ने 100 मीटर की दौड़ मात्र 13.17 सेकंड में पूरी कर दुनियाभर को चौंका दिया। यह प्रदर्शन बुधन के एथलेटिक्स ट्रैक पर हुआ और चीन के सरकारी चैनल CCTV पर लाइव प्रसारित किया गया। दौड़ के दौरान इसकी अधिकतम रफ्तार 9.7 मीटर/सेकंड रही, जो बोस्टन डायनामिक्स के वाइल्डकैट रोबोट से तेज है। कंपनी जल्द ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन करेगी। फिलहाल इसका फोकस रिसर्च और डेवलपमेंट पर है।

वैज्ञानिकों ने खोजी 'फॉसिल गैलेक्सी' 7 अरब वर्षों से नहीं बदली

इटली के वैज्ञानिकों ने 3 अरब प्रकाशवर्ष दूर स्थित एक अनोखी 'फॉसिल गैलेक्सी' की खोज की है, जो पिछले 7 अरब वर्षों से लगभग अपरिवर्तित बनी हुई है। यह आकाशगंगा 'लोकल यूनिवर्स' से बाहर खोजी गई पहली जीवाश्म आकाशगंगा मानी जा रही है। रोम स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स की अंतरराष्ट्रीय टीम ने एरिजोना के लार्ज बाइनाक्युलर टेलीस्कोप की मदद से यह खोज की।

अमेरिका में स्टूडेंट, टूरिस्ट और वर्क वीजा पर अब 21,500 रुपए अतिरिक्त शुल्क

अमेरिका ने वीज़ा नियमों में बदलाव करते हुए स्टूडेंट, टूरिस्ट (B-1/B-2), वर्क (H-1B) और एक्सचेंज (J) वीज़ा आवेदकों के लिए 21,500 की 'इंटीग्रिटी फीस' अनिवार्य कर दी है। यह एक तरह की सुरक्षा जमा राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) होगी, जिसे शर्तों के अनुसार वापस किया जा सकेगा। यह नया नियम 2026 से लागू होगा और हर वर्ष महंगाई दर के अनुसार इसका पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। डिप्लोमैटिक वीज़ा धारकों को इस शुल्क से छूट दी गई है। यह निर्णय वीज़ा धोखाधड़ी और अवैध आव्रजन को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला 21 वां सदस्य बनेगा

बुल्गारिया को 1 जनवरी 2026 से यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की स्वीकृति मिल गई है। इससे वह यूरोपीय एकल मुद्रा क्षेत्र का 21वां सदस्य बन जाएगा। 64 लाख की आबादी वाला यह देश करीब 19 वर्षों बाद लेव से यूरो में परिवर्तन करेगा। प्रधानमंत्री रोसेन जेलियाज़कोव ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए सभी सहयोगियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों के हित में इस बदलाव को सुचारू और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

आग की लपटों में 1,450 फीट बाइक चलाकर बनाया रिकॉर्ड

फ्रांस में 41 वर्षीय प्रोफेशनल फायर फाइटर और शौकिया स्टंटमैन जोनाथन वेरो ने स्वयं को आग लगाकर 1,450 फीट तक बाइक चलाई और एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। यह रिकॉर्ड 'पूर्ण शरीर में अग्निसंयोजन के साथ सबसे लंबी दूरी तक बाइक चलाने' के लिए दर्ज किया गया है।

चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन

सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अमेरिका की कंपनी एनवीडिया एक बार फिर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। 9 जुलाई को कंपनी के शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। जिसके चलते कंपनी का मार्केट कैप पहली बार बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर (करीब 343 लाख करोड़ रुपए) पर पहुंच गया है। कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर ने 164.42 डॉलर (14,091 रुपए) का ऑल टाइम हाई भी बनाया।

भारत 2025 तक दुनिया के शीर्ष 10 तकनीकी बाजारों में होगा शामिल

कोलियर्स की रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे भारतीय शहर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तकनीकी प्रतिभा के केंद्र बन चुके हैं। भारत की तकनीकी प्रतिभा, एशिया-प्रशांत क्षेत्र की कुल तकनीकी शक्ति का 69% योगदान करती है। 2025 की पहली छमाही में भारतीय शहरों में 1 करोड़ वर्ग फुट से अधिक कार्यालय स्थान लीज पर लिया गया। वैश्विक कंपनियों के लिए भारत लागत दक्षता, नवाचार और कुशल जनशक्ति के कारण एक पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है। वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) के विस्तार में भी भारत प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

भारत में स्टारलिंक की सेवाएं शुरू करने की मिली अनुमति

भारत के अंतरिक्ष नियामक इन-स्पेस ने अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क द्वारा संचालित 'स्टारलिंक' को देश में उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। इससे कंपनी के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश की नियामकीय बाधा समाप्त हो गई है। स्टारलिंक की सेवाओं से भारत में बिना मोबाइल टावर के भी इंटरनेट कनेक्टिविटी और कॉलिंग की सुविधा संभव हो सकेगी। इससे ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलना आसान होगा।

रिसर्चः दिमाग की उम्र बताएगी आपके स्वास्थ्य और लंबी आयु का राज

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा रक्त परीक्षण विकसित किया है, जो शरीर की जैविक उम्र बताता है। यह उम्र जन्मतिथि पर नहीं, बल्कि शरीर के 11 अंगों की आंतरिक सेहत पर आधारित होती। दिमाग, दिल, फेफड़े, लिवर, किडनी, मांसपेशियां, आंत, फैट टिशू, आर्टरी, इम्यून सिस्टम और पेंक्रियाज से जुड़े प्रोटीनों की जांच कर यह परीक्षण अनुमान लगाता है कि व्यक्ति कितनी तेजी से उम्र बढ़ा रहा है और भविष्य में किन बीमारियों की संभावना हो सकती है।

अमेरिका ने बनाई दुनिया की सबसे सटीक एटॉमिक घड़ी

अमेरिका ने सबसे सटीक ऑप्टिकल एटॉमिक घड़ी तैयार की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी (एनआईएसटी) ने यह घड़ी बनाई है, जो समय को इतनी बारीकी से मापती है कि वह एक सेकंड को 19वें दशमलव तक का समय दर्ज कर सकती है। यह अब तक की सबसे सटीक घड़ी है, जो पहले के रिकॉर्ड से 41% ज्यादा सटीक और 2.6 गुना ज्यादा स्थिर है। 20 साल की मेहनत से बनी यह घड़ी एक एल्युमिनियम आयन की कंपन गति को मापकर समय तय करती है।

खेल / कला

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, टी20 सीरीज पर कब्जा

12 जुलाई को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर भले ही भारत को पांचवें टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन पूरी सीरीज की बात करें तो टीम इंडिया ने 3-2 से सीरीज जीत ली। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय (टी20आई) सीरीज अपने नाम की है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच कुल छह द्विपक्षीय टी20 सीरीज खेली गई थीं और हर बार भारत को हार झेलनी पड़ी थी। 2006 में भारत ने इंग्लैंड को डर्बी में हराया था, लेकिन वह केवल एक मैच की सीरीज थी। करीब 18 साल बाद, भारत ने इंग्लैंड की सरजमीं पर सीरीज जीतकर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है।

दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए रायपुर में पैरा कैनो वर्कशॉप

छत्तीसगढ़ में पहली बार दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए दो दिवसीय पैरा कैनो वर्कशॉप का आयोजन रायपुर में हुआ। बूढ़ा तालाब व इंडोर स्टेडियम में हुई इस कार्यशाला में खिलाड़ियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। अर्जुन पुरस्कार विजेता प्राची यादव व मनीष कौरव ने खिलाड़ियों का परीक्षण किया। चयनित खिलाड़ियों को अब भोपाल में अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों की तत्परता को सराहा ।

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा पाक खिलाड़ी का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था, और इसके बाद इंग्लैंड अंडर-19 क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में उन्होंने एक बार फिर खुद को साबित किया। इस सीरीज में वैभव की बल्लेबाजी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह लंबी रेस के घोड़े हैं। आयुष महात्रे की कप्तानी में भारत अंडर-19 टीम ने इंग्लैंड को वनडे सीरीज में 3-2 से हराया, और वैभव इस सीरीज के स्टार खिलाड़ी बनकर उभरे। महज 14 साल की उम्र में वैभव ने 5 मैचों में 71 की औसत और 174.01 के स्ट्राइक रेट से कुल 355 रन बनाए। इसमें एक शतक और एक अर्धशतक भी शामिल था।

ICC टेस्ट रैंकिंग में पहली बार गिल शीर्ष-6 बल्लेबाजों में शामिल

भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल पहली बार ICC टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष छह में पहुंचे हैं। 15 स्थान की छलांग लगाकर यह मुकाम हासिल किया। यह टेस्ट क्रिकेट में गिल की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। एजबेस्टन टेस्ट में गिल ने 269 और 161 रन की दो शानदार पारियां खेलीं, जिसका उन्हें सीधा लाभ मिला। बल्लेबाजों की शीर्ष दस रैंकिंग में तीन भारतीय शामिल हैं - यशस्वी जायसवाल चौथे, शुभमन गिल छठे और ऋषभ पंत सातवें स्थान पर हैं।

हरियाणा के संजय कालीरावणा इंडियन हॉकी के कैप्टन बने

हरियाणा के हिसार के संजय कालीरावणा को हॉकी इंडिया "ए" टीम का कैप्टन बनाया गया है। संजय कालीरावणा पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के बाद दूसरे हरियाणवी हैं, जिन्हें हॉकी में बतौर कैप्टन देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा।

कॉर्टस कैफर का टी20 क्रिकेट में ऐतिहासिक कारनामा, 5 गेंदों में 5 विकेट

आयरलैंड के ऑलराउंडर कॉर्टस कैफर पुरुष टी20 क्रिकेट में लगातार 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। यह रिकॉर्ड इंटर-प्रोविंशियल टी20 ट्रॉफी में मन्स्टर रेड्स की ओर से खेलते हुए बना। उन्होंने 2.3 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। विपक्षी टीम नॉर्थ-वेस्ट वॉरियर्स 189 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 88 रन पर सिमट गई।

आर्चरीः वर्ल्ड कप स्टेज-4 में भारत की महिला कंपाउंड टीम को रजत पदक

मैड्रिड, स्पेन में जारी आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज-4 में भारत ने पहला पदक जीत लिया है। भारत को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त हुआ। ज्योति वेनेम, परनीत कौर और 16 वर्षीय पृथिका प्रदीप की टीम फाइनल में ताइवान के खिलाफ 170-169 से आगे चल रही थी। हालांकि, अंत में भारतीय टीम को 227-225 के स्कोर से करीबी हार का सामना करना पड़ा। ताइवान ने अंतिम एंड में 58 का परिपूर्ण स्कोर किया, जबकि भारतीय टीम केवल 55 अंक ही जुटा सकी।

चेल्सी ने दूसरी बार FIFA क्लब वर्ल्ड कप जीता

चेल्सी ने दूसरी बार FIFA क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। टीम ने 13 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल में फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन (PSG) को 3-0 से हराया। इससे पहले चेल्सी ने 2021 में भी खिताब अपने नाम किया था। इस बार यह टूर्नामेंट अलग फॉर्मेट में खेला गया। इसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया और इसकी शुरुआत 14 जून को हुई थी। 2000 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट में पिछले साल तक 8 टीमें ही हिस्सा लेती थी।

यानिक सिनर ने पहला विम्बलडन खिताब जीता

शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी यानिक सिनर ने पुरुष एकल के फाइनल में पिछले दो बार के गत चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराकर पहला विम्बलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इस तरह इटली के खिलाड़ी सिनर ने पांच हफ्ते पहले हुए फ्रेंच ओपन के ऐतिहासिक फाइनल के नतीजे को भी बदल दिया। अब सिनर दूसरी रैंकिंग पर काबिज स्पेनिश खिलाड़ी अल्काराज से कुल ग्रैंड स्लैम खिताब से एक कदम दूर हैं।

हरिकृष्णन बने भारत के नए ग्रैंडमास्टर

दिग्गज विश्वनाथन आनंद 1984 में देश के पहले ग्रैंडमास्टर बने थे और आज 41 साल में भारत के 87 शतरंज खिलाड़ी यह मुकाम हासिल कर चुके हैं। चौबीस साल के हरिकृष्णन ए रा ने फ्रांस के ला प्लेन अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में अपना तीसरा ग्रैंडमास्टर नॉर्म हासिल किया और देश के 87वें ग्रैंडमास्टर बने। श्रीहरि एल आर भारत के 86वें ग्रैंडमास्टर थे और अब हरिकृष्णन ने यह उपलब्धि हासिल की है। चेन्नई के हरिकृष्णन ने अपना पहला ग्रैंडमास्टर नॉर्म 2018 में हासिल किया था और फिर स्पेन में आंदुजार ओपन में दूसरा नॉर्म हासिल किया और चंद दिनों में तीसरा नॉर्म भी हासिल कर लिया।

कार्यालय, आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
:: संचालनालय ::

ब्लॉक-डी, भूतल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

क्रमांक/आदि०यो०/04/2025-26/5089 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11-7-2025

डॉ० भंवर सिंह पोर्ते, आदिवासी सेवा सम्मान
वर्ष 2025 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली किसी एक स्वैच्छिक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा डॉ० भंवर सिंह पोर्ते, की स्मृति में प्रदेश स्तर का सम्मान स्थापित किया गया है। इस हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं से वर्ष 2025 हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित है।

2. **सम्मान का स्वरूप :-**
उक्त सम्मान के अंतर्गत रूपये दो लाख नगद राशि एवं प्रतीक चिन्ह युक्त प्रशस्ति पटि्टका दी जाएगी।

3. **आवेदन/प्रविष्टियां भेजने की समयावधि :-**

3.1 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र/प्रविष्टियां, समाज सेवी संस्था द्वारा बंद लिफाफे में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा दिनांक 12.08.2025 सांय. 5:00 बजे तक कार्यालय, सचिव, छ०ग०राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, शहीद भगत सिंह चौक शंकर नगर रोड पुराना लोक सेवा आयोग परिसर ब्लाक-ए रायपुर छ.ग. में प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त निर्धारित तिथि एवं समयावधि पश्चात, प्राप्त प्रविष्टि/आवेदन पर विचार किया जाना संभव नही होगा। डाक संबंधी विलंब के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नही होगा।

3.2 योजना नियमावली विभागीय वेबसाईट www.cgtribal.gov.in पर उपलब्ध है।

3.3 प्रविष्टियां/आवेदन पत्र के लिफाफे पर डॉ० भंवर सिंह पोर्ते, आदिवासी सेवा सम्मान वर्ष 2025 अंकित होना चाहिए।

प्रविष्टियां/आवेदन के मापदण्ड

4. सम्मान के लिए प्रविष्टियां / आवेदन निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किए जा सकते है :-
1. संस्था का पूर्ण परिचय
2 आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के लिए संस्था द्वारा किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी ।
3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण ।
4. सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित)
5. आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं / ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य ।
6. संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीनतम (ताजा) प्रमाण पत्र।
7 . चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में संस्था की सहमति ।
8. जूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था के कार्यों के प्रत्यक्ष आंकलन के संबंध में सहमति ।
9. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्ते लागू नही होगी।
10. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित संस्था का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं हैं।
11. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों / जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
12. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों / निष्कर्षों / प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टिकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा ।
13. संस्था को आवेदन में इस आशय की अण्डरटेकिंग देना होगा कि ज्यूरी अथवा उसके किसी भी सदस्य अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा संस्था के कार्य का प्रत्यक्ष आंकलन किया जा सकता है। तथा इस हेतु वे (संस्था) सहमत हैं। इसी प्रकार चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने की सहमति देनी होगी।

(डॉ. सारांश मित्तल)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

आर.ओ.88/जी-252602167.3

कार्यालय, आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
:: संचालनालय ::

ब्लॉक-डी, भूतल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

क्रमांक/आदि०यो०/03/2025-26/5092 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11-7-2025

गुरु घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान
वर्ष 2025 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा अनुसूचित जाति के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति या एक स्वैच्छिक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गुरु घासीदास की स्मृति में प्रदेश स्तर का सम्मान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025 हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित है।

1/ **सम्मान का स्वरूप :-**
उक्त सम्मान के अंतर्गत रूपये दो लाख नगद राशि एवं प्रतीक चिन्ह युक्त प्रशस्ति पटि्टका दिये जाने का प्रावधान है। सम्मान की नगद राशि एक व्यक्ति / संस्था को दी जा सकती है।

2/ **आवेदन/प्रविष्टयां भेजने की समयावधि तथा स्थल :-**

2.1 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र/प्रविष्टियां समाज सेवी व्यक्ति / संस्था द्वारा बंद लिफाफे में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा दिनांक 12.08.2025 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय सचिव, छ.ग. अनुसूचित जाति आयोग शहीद भगत सिंह चौक शंकर नगर रोड पुराना लोक सेवा आयोग परिसर रायपुर छ.ग. में प्रस्तुत किया किया जायेगा। उक्त तिथि को निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त प्रविष्टि /आवेदन पर विचार किया जाना संभव नही होगा। डाक संबंधी विलंब के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

2.2 नियम की प्रति विभागीय वेबसाईट www.cgtribal.gov.in पर उपलब्ध है।

2.3 प्रविष्टियां / आवेदन पत्र के लिफाफे पर गुरु घासीदास स्मृति सम्मान वर्ष 2025 अंकित होना चाहिए।

3/ **प्रविष्टियां/आवेदन एवं चयन की प्रक्रिया के मापदण्डः-**
सम्मान के लिए प्रविष्टियां / आवेदन निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किए जा सकते है :-
1. व्यक्ति / संस्था का पूर्ण परिचय।
2. अनुसूचित जाति के लोगों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के लिए किये गये कार्यों को सप्रमाण विस्तृत जानकारी।
3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।
4. सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित)।
5. अनुसूचित जाति के लोगों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं / ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य।
6. व्यक्ति/संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीनतम (ताजा) प्रमाण पत्र।
7. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति / संस्था की सहमति।
8. ज्यूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति / संस्था द्वारा व्यक्ति / संस्था के कार्यों के प्रत्यक्ष आकलन के संबंध में सहमति।
9. चयन के लिये नियमों में निर्दिष्ट मापदण्डों के अलावा कोई और शर्ते लागू नहीं होगी।
10. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति / संस्था का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नही हैं।
11. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों / जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।
12. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों / निष्कर्षों / प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टिकर्ता का रहेगा। इस मामलें में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।
13. संस्था/व्यक्ति को आवेदन में इस आशय की अण्डरटेकिंग देना होगा कि ज्यूरी अथवा उसके किसी भी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था/व्यक्ति के कार्यों का प्रत्यक्ष आंकलन किया जा सकता है। इस हेतु वे (संस्था / व्यक्ति) सहमत है। इसी प्रकार चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने की सहमति देनी होगी।

(डॉ. सारांश मित्तल)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

आर.ओ.89/जी-252602169.3

कार्यालय, आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
:: संचालनालय ::

ब्लॉक-डी, भूतल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

क्रमांक/आदि०यो०05/2025-26/5067 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11-7-2025

शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान वर्ष 2025
के लिए प्रविष्टियां आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में प्रदेश स्तर का सम्मान स्थापित किया गया है। वर्ष 2025 हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित है।

1. **सम्मान का स्वरूप:-**
उक्त सम्मान के अंतर्गत रूपये दो लाख नगद राशि एवं प्रतीक चिन्ह युक्त प्रशस्ति पटिट्का दी जाएगी, सम्मान की नगद राशि एक व्यक्ति को दी जा सकती है।

2. **आवेदन/प्रविष्टियां भेजने की समयावधि :-**

2.1 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र/प्रविष्टियां, समाज सेवी व्यक्ति द्वारा बंद लिफाफे में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा दिनांक 12.08.2025 सायं 05:00 बजे तक सचिव, छ०ग०राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, शहीद भगत सिंह चौक शंकर नगर रोड पुराना लोक सेवा आयोग परिसर ब्लाक-ए रायपुर छ.ग. में जमा की जायेगी। उक्त तिथि को निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त प्रविष्टि/आवेदन पर विचार किया जाना संभव नही होगा। डाक संबंधी विलंब के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नही होगा।

2.2 योजना नियमावली विभागीय वेबसाईट www.cgtribal.gov.in पर उपलब्ध है।

2.3 प्रविष्टियां/आवेदन पत्र के लिफाफे पर शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान वर्ष 2025 अंकित होना चाहिए।

3. **प्रविष्टियां/आवेदन के मापदण्ड**
सम्मान के लिए प्रविष्टियां/आवेदन निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किए जा सकते है :-
1. व्यक्ति का पूर्ण परिचय।
2. आदिवासियों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के लिए किये गये कार्यों का सप्रमाण विस्तृत जानकारी।
3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।
4. सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित)।
5. आदिवासियों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य।
6. व्यक्ति के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीनतम (ताजा) प्रमाण पत्र।
7. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की सहमति।
8. जूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के कार्यों के प्रत्यक्ष आकलन के संबंध में सहमति।
9. चयन के लिये नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्ते लागू नहीं होगी।
10. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नही हैं।
11. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।
12. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षो/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टिकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।
13. व्यक्ति को आवेदन में इस आशय की अण्डरटेकिंग देना होगा कि ज्युरी अथवा उसके किसी भी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के कार्यों का प्रत्यक्ष आंकलन किया जा सकता है। इस हेतु वे (व्यक्ति) सहमत हैं। इसी प्रकार चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने की सहमति देनी होगी।

(डॉ. सारांश मित्तल)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

आर.ओ.90/जी 252602170.3

ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा)

चतुर्थ तल, ब्लॉक-ए, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर 490002 (छ.ग.)
फोन एवं फैक्स नं.- 0771-2511766 email-handloomraipur@gmail.com

डिप्लोमा इन हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी के
त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश तिथि में वृद्धि हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चाम्पा/बरगढ़ में त्रिवर्षीय पाठ्क्रम डिप्लोमा इन हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी में प्रवेश हेतु विज्ञापन क्रमांक 252600942 दिनांक 16.05.2025 के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिये प्रवेश की अंतिम तिथि 30.06.2025 निर्धारित थी। निर्धारित समय अवधि में अपर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण उक्त पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर हेतु चांपा संस्थान की 13 रिक्त सीट तथा Lateral Entry के माध्यम से सीधे तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के लिये चांपा संस्थान की 18 रिक्त सीट एवं बरगढ़ संस्थान की 01 रिक्त सीट में प्रवेश के लिये इच्छुक अभ्यर्थियों से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिनांक 31.07.2025 को सायं 5:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र वेबसाईट www.iihtchampa.org.in से डाउनलोड कर या सीधे संस्थान में उपस्थित होकर प्राचार्य, भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, मड़वा प्लांट रोड, लछनपुर चौक, चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) 495669 में जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालयीन समय में मो. नं. 70490-46588 पर संपर्क किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक
ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा
छत्तीसगढ़ रायपुर

आर.ओ.91/जी 252602138.3

राज्य बाल संरक्षण समिति, छत्तीसगढ़
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक 01, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)
दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188 (Fax) email: dirwcd@nic.in

// दावा आपत्ति प्रकाशन //

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन के रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्रसारित विज्ञापन दिनांक 27.11.2024 पर पात्र/अपात्र सूची का प्रकाशन व दावा आपत्ति का आमंत्रण

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन के रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति के लिए दिनांक 27.11.2024 को विज्ञापन क्र. 10487 द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में प्राप्त आवेदनों के प्रारंभिक परीक्षण उपरांत निम्नानुसार पदों के लिए पात्र/अपात्र आवेदको की सूची तैयार की गई है :-

क्र.	पदनाम	कुल पदों की संख्या	प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या	पात्र अभ्यर्थियों की संख्या	अपात्र अभ्यर्थियों की संख्या
1	हेल्पलाईन एडमिनिस्ट्रेटर	1	464	32	432
2	कॉल आपरेटर	12	1031	39	992
3	आईटी सुपरवाईजर	1	808	546	262
4	मल्टी पर्पज स्टाफ	3	856	186	670
5	सुरक्षा गार्ड / रात्रिकालीन गार्ड	3	151	22	129
	योग	20	3310	825	2485

प्रारंभिक सूची छत्तीसगढ़ शासन www.cgstate.gov.in तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल/कार्यालय में उपलब्ध है। इस संबंध में कोई दावा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते है तो दिनांक 25 जुलाई 2025 तक उपयुक्त अभिकथन व दस्तावेजों के साथ संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन द्वितीय तल, ब्लॉक ए नवा रायपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

(पदुम्न सिंह एल्मा)
संचालक
महिला एवं बाल विकास विभाग
एवं सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

आर.ओ.92/जी 252602205.5

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

Phone No. 07706-241445 Email: nrhmgariyaband@yahoo.in, Cmogariaband@yahoo.in

क्रमांक/एन.एच.एम./संविदा भर्ती/2025/16098 गरियाबंद, दिनांक 08/07/2025

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, रायपुर (छ.ग.) का पत्र कमांक / एनएचएम / एचआर/2024/1065/2024 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04.11.2024, Letter No./NHM/PROJ-4107/6/2025-Section (NIM)/201 Date 17.04.2025, पत्र क्रमांक/NUHM/2023/1787/5584 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29.3.2023, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सह परियोजना संचालक, छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, रायपुर का पत्र क्रमांक / एड्स/आई.सी.टी.सी./2020-21/1011 रायपुर, दिनांक 02.02.2021 के परिपालन में जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की आर.ओ.पी. तथा एनयूएचएम. आईसीटीसी में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 08/07/2025 से 28/07/2025 को सायं 05:30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) में केवल पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट से आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् तथा साधारण डाक, कोरियर, सीधे अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

जिले में विभिन्न स्वीकृत संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताकारी योग्यता एवं रिक्त पद का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:-

भाग-अ

पद क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	श्रेणीवार रिक्त पद श्रेणी UR Open	UR Female	ST Open	ST Female	SC Open	SC Female	OBC Open	OBC Female	Education Qualification / Essential Qualification	Desireable Qualification/ Experience	एकमुश्त वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nursing Offcer (NHM)	13	4 (2ph)	1	2	2	1	0	2	1	BSC. Nursing OR GNM Course Passed & live Registration in chhattisgarh Nursing Registration Council.	–	16,500/- Per Month
2	Staff Nurse (ICCU)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	BSC. Nursing OR GNM Course Passed & live Registration in chhattisgarh Nursing Registration Council.	-	16,500/- Per Month
3	Community Nurse (NMHP)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	बी.एस.सी. नर्सिंग के साथ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड एवं मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में 02 वर्ष का अनुभव।	-	16,500/- Per Month
4	Laboratory Technicians DPHL	4	2	0	1	0	0	0	1	0	1. Higher Secondary (10+2) in Biology with BMLT 2. (A) Higher Secondary (10+2) in Biology with DMLT (B) Higher Secondary (10+2) in Biology with Paramedical Technician one year certificate Course (CMLT) I-Registration in Paramedical Council of India or Chhattisgarh Paramedical Council) First Preference will be given to BMLT	-	14,000/- Per Month
5	Laboratory Technicians -BPHU	12	4	1	3	1	1	0	2	0	D.M.L.T/B.M.L.T/Pathology in Paramedical Course and Registration In CG Paramedical Council	-	14,000/- Per Month
6	Radiografer /X-Ray Technician	4	2	0	1	0	0	0	1	0	1. 10+12 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ 12 वीं उतीर्ण होना चाहिए। 2. क्ष किरण तकनीक/रेडियोग्राफर का छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठयक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए और 3.छ.ग. पैरामेडिकल काउनसिल से रेडियोग्राफर/क्ष- किरण तकनीशियन जीवित पंजीयन होना चाहिए।	-	15,000/- Per Month
7	Physio tharapist	1	0	0	0	0	1	0	0	0	Bachelor's Degree in Physiotherapy (B.P.T.)	-	18,000/- Per Month
8	Dental Surgeon (NHM)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	MDS With Registration in Chhatisgarh Medical Council is compulsary OR BDS With Registration in Chhatisgarh Medical Council is compulsary	-	27,500/- Per Month
9	Dental Assistant	1	0	0	1	0	0	0	0	0	Matriculation (12 th Pass) From Recognised Board.	Two years experience in a government dentalcollage/ clininc	12,000/- Per Month
10	MO-Ayush (NHM)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	BHMS/BAMS/BUMS Degree Registration From Any GOI Recognised (BAMS/BHMS/ BUMS) Ayush, Homeo, Unani Registration Board.	–	25,000/- Per Month

क्रमशः

11	MO-Ayush (Male) (RBSK)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	BHMS/BAMS/BHMS Degree Registration From Any GOIRecognised (BAMS/BHMS/BUMS)Ayush, Homen, Unani Registration Board.	-	25,000/- Per Month
12	ANM (RBSK)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	ANM Course Passed in Indian Nursing Board & Registration in CG Nurses Registraion Council	-	12,000/- Per Month
13	Pharmacits (RBSK)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Degree or Diploma In Pharmacy (50%) & Registration in Pharmacy Registration Council	-	16,500/- Per Month
14	Laboratury Technicians RBSK	1	0	0	0	0	0	0	1	0	D.M.L.T/B.M.L.T/Pathology in Paramedical Course and Registration In CG Paramedical Council	-	14,000/- Per Month
15	Staff Nurse NRC	2	0	0	1	0	1	0	0	0	BSC. Nursing OR GNM Course Passed & live Registration in chhattisgarh Nursing Registration Council	-	16,000/- Per Month
16	Cook cum care Taker NRC	1	0	0	1	0	0	0	0	0	8th passed	-	8,800/- Per Month
17	Feeding Demonstrator	2	1	0	1	0	0	0	0	0	BSC Home Science	-	12,000/- Per Month
18	Attaendant NRC	1	0	0	1	0	0	0	0	0	8th Passed	-	8,800/- Per Month
19	Staff Nurse SNCU	2	1	0	0	0	0	0	1	0	BSC. Nursing OR GNM Course Passed & live Registration in chhattisgarh Nursing Registration Council	-	16,000/- Per Month
20	Staff Nurse NBSU	2	0	0	0	0	0	0	2	0	BSC. Nursing OR GNM Course Passed & live Registration in chhattisgarh Nursing Registration Council	-	16,000/- Per Month
21	Lab Assistant	2	1	0	1	0	0	0	0	0	12th Pass With Biology with 01 Year Expreience in laboratory	-	12,000/- Per Month
22	Tech Assistant Hearing Impaired Children	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Diploma in Training young deaf and hearing handicapped (DTYDHH) from RCT recognized institute	-	15,000/- Per Month
23	Laboratory Technician (Blood Bank)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Essential Qualification:- Degree in Medical Laboratory Technology (M.I.T.) or Diploma in Medical Laboratory Technology (M.I.T.) • Should have completed 10+2 before obtaning diploma or degree. • The degree or diploma should be from a University/Instituion recogmized by the Central Government or State Government • The Candidte should be registered with the concerned Para-Medical Council if applicable. • Knowledge of computers. • Desireable Qualification: Post Graduate degree. • Proficiency in MS Office. Experience: • Minimum two years after degreee and three years after diploma. Degree holders must have minimum six month experience in blood banking. • Diploma Holder must have minimum one year's experience in blood banking	-	14,000/- Per Month

क्रमशः

24	Blood Bank Counsellor)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Essential Qualification: • Post Graduate in Social Work/SociologyPsychology/Anthropology/Human Development. Desireable Qualification Knowledge of computers. • Proficiency in MS Office Experience: Minimum two years after Essential Qualification	–	12,000/- Per Month
25	Attendent NPHCE (HA)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12th passed	–	8,800/- Per Month
26	Attendent NPHCE (SA)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	12th passed	-	8,800/- Per Month
27	Community Health Officer	37	10 (04 ph)	5	9	6	3	0	2	2	2.1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (B.Sc. Nursing Certificate in Community Helath Integreted Course) उत्तीर्ण। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित कोर्स बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठयक्रम (Pst Basic B.Sc. Nursing Cetificate in Community Helath Integrated Course) 2.2 अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीयन नहीं होने की स्थिति में चयन के पश्चात 45 दिवस का समय प्रदान किया जावेगा।	-	16500/- Per Month
28	Accountant NHM	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1. B.Com (minimum 55%) + 1 Year Computer Diploms (PGDCA) 2. Knowledge of Tally is Compulsory.	-	18,000/- Per Month
29	Block Manager Account	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1. B.Com (Minimum 55%)+1 Year Computer Diploma (PGDCA) 2. Knowlegded of Tally is compusary	-	21,000/- Per Month
30	Secretarial Assistant NHM	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12th Pass With at last 1 Year Diploma in Computer Application	-	13,650/- Per Month
31	Jr. Secretarial Assistant PADA	4	2	0	1	0	0	0	1	0	12th Pass With at least 01 Year Diploma in Computer Application	-	12,000/- Per Month
32	MPW (Male) (UHWC)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Must hage passed Higher Secondary Examination (10+02) examination with Biology subject. One year Diploma in Multipurpose worker training of equivalent training from training center recognized by the State Government with registered in Chhattisgarh Paramedical Council	-	14,000/- Per Month
33	Staff Nurse (UHWC)	4	2	0	1	0	0	0	1	0	01-B.Sc. Nursing/PostBasic Nursing 02. Genral Nursing and Midwifery (GNM) with CG Nursing Council registration (Final Merit List Prepated of the basis of order of priority. Like 1&2)	-	16,500/- Per Month
											Essential Qualification & Experience: Post Graduate Degree/Diploma in psychology/sociology/Anthopodogy/ Human Development/Nursing: With Minimum 1 year experience after PG Degree/Diploma, of working in		

क्रमशः

34	STI-ICTC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	field of counseling in health sector, Preferably in STI/RTI and IIIV. Or Graduate in psychology/Social Work/Sociology/Nursing; with Minimun3 Year's experience after gradiatopm, of working in field of counseling in health sector prefably in STI/RTI and HIV in the case of those recruited from the community of people infected with of affected by HIV/AIDS, the experience will ve relaxed to a minimun of one year of experience in the field of HIV/AIDS Other Experience Require: a Working Knowledge of Computers.	–	21,000/- Per Month
35	LT-ICTC	3	1	0	1	0	0	0	1	0	Essential Qualification & Experience: Graduate in Medical Laboratory. Technology (B.sc.); with Minimum 1 yearexperience after graduation. Or Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT); with Minimum 2 year experience after diploma The Services of existing 1.Ts who do not hold a DMLT may be continued if they have done a certificate course in medical Laboratory Technology and have more than 5 years of experience of working in the ICTC/PPCT/ART centres Under the National AIDS Control Programame Other Expertise Required: Working Knowledge of computers.	-	21,000/- Per Month
	Total	113	40	7	30	9	7	0	17	3			

नोटः-

1. आरक्षण जिले में प्रचलित रोस्टर पद्धति के अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू किया जावेगा। सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी /3-5-99/3/एक, दिनांक 24 फरवरी 2000 के अनुसार राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति के एकांकी पदों पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नही होगा। एकांकी पद वह होगा जो किसी संवर्ग विशेष में केवल एक ही पद स्वीकृत है। इस हेतु जिले के एकांकी पद पर आरक्षण रोस्टर लागू ना करते हुए अनारक्षित पद पर भर्ती किया जावेगा।
2. नियमानुसार विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पदों में नियमानुसार 20 प्रतिशत तक विशेष सुविधा प्रदाय की जावेगी।
3 आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत हो जावेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद की तिथि का प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अर्हता सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
4 विज्ञापन में तथ्यात्मक / लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
5. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है अथवा पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
6 विज्ञापित पदों में बैंकलॉग पद शामिल हैं।
7. संलग्न सर्व प्रमाण पत्र एवं फोटो स्व प्रमाणित/स्व हस्ताक्षरित/Self Attested करना अनिवार्य है।
8. आवेदन पत्र में निर्धारित दोनों स्थानों पर आवेदक का हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
9. ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंकसूची ग्रेडिंग पद्धति का है, को ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है तथा इस संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्था / स्कूल से संस्था प्रमुख द्वारा जारी गणना पत्रक / चार्ट की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त कण्डिका कमांक 3, 7, एवं 8 का पालन न होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

भाग-ब

आवेदन के संबंध दिशा-निर्देश :-

1. भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 तथा राज्य कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जावेगा।
2. एक से अधिक पदों में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिये अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
3. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य किया जावेगा।
4. प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी सावधानीपूर्वक पढ़कर पूर्णरूपेण भरा जावे। आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण होने एवं वांछित दस्तावेज के अभाव में आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
5. आवेदक आवेदन करते समय लिफाफे पर आवेदित पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है तथा जाति संवर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। जिन आवेदन पत्रों में बंद लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं संवर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. / अनारक्षित श्रेणी) का उल्लेख नहीं होगा, उन्हें अमान्य किया जावेगा।
6. **आवेदन शुल्कः-** भर्ती हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन हेतु नीचे दर्शाये अनुसार आवेदन शुल्क देय होगा, बिना आवेदन शुल्क के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निम्नानुसार जिला स्वास्थ्य समिति, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) के नाम से देय होगा।

वर्ग	मानदेय प्रतिमाह <= 25000	मानदेय प्रतिमाह > 25000
दिव्यांग/अ.जा./अ.ज.जा./ महिला	100	200
अ.पि.व / सामान्य अभ्यर्थी हेतु	200	300
अनारक्षित संवर्ग	300	400

रिमार्क : डी.डी. की मूल प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। एक से अधिक विज्ञापित पदों में आवेदन करने की स्थिति में पृथक-पृथक आवेदन के साथ पृथक-पृथक आवेदन शुल्क देय होगा।

क्रमशः

7. **आयु सीमाः**-संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी। आयु गणना हेतु आधार वर्ष 01.01.2025 होगा। आयु सीमा में छ.ग. शासन द्वारा दिए जाने वाले सभी छूट सम्मिलित है।

8. उपरोक्त पदों पर आवेदन के साथ क्रमवार प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा तथा दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार के समय अभिलेखों की मूल प्रति के साथ अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

8.1 10वीं की अंकसूची/08वीं की अंकसूची / जन्मप्रमाण पत्र। (जन्म तिथि के प्रमाण हेतु)।

8.2 छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से 01 वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा। (संबंधित है तो)

8.3 स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षों की अंकसूची।

8.4 संबंधित डिप्लोमा/डिग्री।

8.5 संबंधित कौसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र। (संबंधित है तो)

8.6 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। (संबंधित है तो)

8.7 यदि दिव्यांग है तो (दिव्यांगता प्रमाण पत्र)

8.8 छ.ग. राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र।

8.9 अनुभव / अनापत्ति प्रमाण पत्र (पद से संबंधित हो) विभाग प्रमुख / नियोक्ता द्वारा जारी केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे।) पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को अनुभव के अंक प्रदान किये जायेंगे।

8.10. अनुभव प्रमाण पत्रः- विज्ञापित पदों के चयन में केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम / शासकीय/अर्द्धशासकीय/ पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष 2 अंक के मान से अधिकतम 10 अंक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत् अधिकारी तथा कर्मचारियों को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 3 अंक अधिकतम 15 अंक प्रदान किया जावेगा तथा ए.एन.एम. / जी.एन.एम. / नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को 04 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 20 अंक प्रदाय किया जावेगा।

8.11 अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता संबंधी स्पष्टता :-
यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में किसी शासकीय/अर्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित संस्था में कार्यरत रह चुका है और उस संस्था को त्याग चुका है, तो ऐसे प्रकरण में अनुभव प्रमाण पत्र उसी सेवा अवधि के दौरान या सेवा समाप्ति की तिथि के निकट जारी होना अनिवार्य होगा। यदि सेवा समाप्त होने के लंबे समय पश्चात् (वर्तमान तिथि को) अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो वह संदिग्ध माने जाने की संभावना रहेगी।

8.12 कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश पृ.क. एफ 1/67/2021/सत्रह / एक दिनांक 07.12.2021 में दिये गये आदेशानुसार 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जावेगा। इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 06 माह की निरंतर सेवा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8.13 अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा तथा शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के उपरांत प्राप्त अनुभव के आधार पर अनुभव के अंक मान्य की जायेगी। अनुभव में अंकों की गणना 12 माह पूर्ण होने पर ही एक वर्ष किया जावेगा। 12 माह से कम अनुभव होने पर अंकों की गणना नहीं की जावेगी। प्रशिक्षण एवं स्वेच्छा से कार्य का अनुभव मान्य नहीं किया जावेगा।

8.14 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8.15 अभ्यर्थी द्वारा यदि बिन्दु कमांक 8.10 व 8.12 के आधार पर दो अथवा अधिक अनुभव प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दोनों अथवा तीनों में से जिसका अंक अधिक हो, केवल एक का ही लाभ दिया जावेगा।

9. चयन प्रक्रिया :

9.1 उक्त पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा / साक्षात्कार के माध्यम से की जावेगी।

(अ) **लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा / साक्षात्कार हेतु स्क्रीनिंग का आधार निम्न होगा :-**
शैक्षणिक योग्यता 65 प्रतिशत अंक+अनुभव के अंक / बोनस अंक 10/15/20
(पद क्रमांक 23, 24, 34 एवं 35 को छोड़कर)

(ब) अंतिम चयन सूची निम्नानुसार तैयार की जावेगी :-
शैक्षणिक योग्यता + अनुभव के अंक / बोनस अंक लिखित / कौशल /साक्षात्कार परीक्षा के अंक।

9.2 अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनायी जावेगी :-
पद क्रमांक 1, 2, 3, 12, 15, 19, 20, 27 एवं 33 के लिए :-

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों का-65 प्रतिशत् अंक।
2. कौशल परीक्षा-20 अंक (पद के अनुरूप लिखित / स्किल टेस्ट / साक्षात्कार आदि के स्वरूप में कौशल परीक्षा ली जावेगी)
3. अनुभव अनुभव अंक/बोनस अंक- 10/15 (पद से संबंधित अनुभव ही मान्य किये जायेंगे।)

> केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/शासकीय/अर्द्धशासकीय/पदों पर कार्यरत् अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष 2 अंक के मान से अधिकतम 10 अंक।

> एन.एच.एम. में कार्यरत् अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 03 अंक) अधिकतम 15 अंक ।

> ए.एन.एम. / जी.एन.एम. / नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिये 04 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 20 अंक ।

पद क्रमांक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26 28, 29, 30, 31, एवं 32 के लिए :-

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों का 65 प्रतिशत् अंक।
2. कौशल परीक्षा-20 अंक (पद के अनुरूप लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड/स्किल टेस्ट / साक्षात्कार आदि के स्वरूप में कौशल परीक्षा ली जावेगी)
3. अनुभव अनुभव अंक/बोनस अंक जावेंगे। 10/15 (पद से संबंधित अनुभव ही मान्य किये

> एन.एच.एम. में कार्यरत् अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 03 अंक) अधिकतम 15 अंक

> अन्य अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक

पद कमांक 23, 24, 34 एवं 35 के लिए चयन का आधार :-

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों का 80 प्रतिशत् अंक ।
2. राज्य शासन अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में समान कार्य अनुभव को 03 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से अधिकतम 15 अंक दिया जावेगा।
3. राज्य शासन के अन्य विभाग में समान कार्य के अनुभव को 02 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से अधिकतम 10 अंक / 10 बोनस अंक दिया जावेगा।
4. किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा 05 अंक (5% Weightage)

9.3 उक्त पदों हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले आवेदकों की वर्गवार सूची न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारित प्रतिशत अंक + अनुभव अंक / बोनस अंक के योग के गुणानुक्रम में तैयार की जायेगी तथा तालिकानुसार आवेदकों को वर्गवार प्रवीणता (मेरिट) के आधार पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुणा आवेदकों को लिखित / कौशल / साक्षात्कार परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।

भाग-स

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्ते एवं दिशा-निर्देश :-

1. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, इसमें सहीं पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
2. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिए गए समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज अनुसार सही होना चाहिए। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात दस्तावेज जांच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण या अधूरी है तो उन्हें आगामी अंतिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। चयन के पूर्व/पश्चात जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उनका चयन निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय नियुक्तिकर्ता का होगा।
3. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी। जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी (उम्र में बड़े होंगे) उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
4. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय आवेदन के साथ संलग्न रामस्त प्रगाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. अंतिम चयन सूची व प्रतीक्षा सूची की वैधता प्रकाशन तिथि से आगामी न्यूनतम एक वर्ष या अगली नवीन भर्ती के विज्ञापन जारी होने तक वैध रहेगी।
6. संविदा मानदेय :- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित आर.ओ.पी. अनुसार देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता / सुविधा देय नहीं होगा।
7. उपरोक्त संविदा अवधि 31 मार्च 2026 तक (शासन द्वारा आगामी वर्ष 2025-26 की आर.ओ. पी. में पद स्वीकृति की प्रत्याशा में) के लिये होगी। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त अवधि की वृद्धि की जा सकती है।
8. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् एक माह पूर्व सूचना देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।
9. विशेष आरक्षण अर्हता रखने वाले (दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक/विशेष पिछड़ी जनजाति/ महिला आरक्षण नियमानुसार होगी) अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जाने होंगे। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न न होने की स्थिति में सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम

क्रमशः

प्राधिकारी से स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

12. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का Performance Appraisal नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

13. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेगें।

14: आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकारी प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रकिया/ मापदण्डों पर निर्भर करेगी।

15. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जायेगा।

16. चयन प्रकिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

17. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा सेवा समाप्त की गयी है चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जावेगा।

18. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा, जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।

19. दावा आपत्ति, चयन प्रक्रिया, प्रक्रिया का परिणाम संबंधी सभी सूचना कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) के सूचना पटल पर एवं जिले की वेबसाईट www.gariaband.gov.in में समय-समय पर प्रकाशित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य के माध्यम से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

20. उपरोक्त सभी नियुक्ति एवं चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SPL (C) No. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होंगी।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला गरियाबंद (छ.ग.)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों की भर्ती
(कार्यालयीन विज्ञापन कमांक--------दिनांक--------
आवेदन पत्र का प्रारूप

अभ्यर्थी स्वयं सत्यापित फोटो चस्पा करें।

प्रति,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम -------------------------
2. आवेदक का नाम -------------------------
3. पिता/पति का नाम -------------------------
4. माता का नाम -------------------------
5. (अ) जन्म तिथि -------------------------
6. (ब) 01.01.2025 को आयु -----वर्ष---माह-----दिन----
(स) लिंग (महिला/पुरुष) -------------------------
7. जाति वर्ग अना/अ.ज.जा/अ.जा/अपिव -------------------------
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. छत्तीसगढ का स्थायी निवासी है हाँ/नहीं -------------------------
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. क्या आप दिव्यांग श्रेणी के है (हां / नहीं) -------------------------
प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. स्थायी निवास का पता -----------------------

पिन कोड ----मो०न०------
ईमेल आई डी (वैकल्पिक)---
11. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता -------------------------

पिन कोड...... मो०न-------
ईमेल आई डी (वैकल्पिक)

12. (अ) शैक्षणिक योग्यता (स्व सत्यापित प्रति संलग्न करें।)---------------------

क्र	परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड / वि.वि का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

(ब) तकनीकी योग्यता (स्व सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

क्र	परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड / वि.वि का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. कार्यानुभव (स्व सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

क्र	पद का नाम	सस्था का नाम	कार्य अवधि दिनाक (कब से कब तक)	कुल कार्य अवधि वर्ष/माह में	कार्य का विवरण

15. क्या आवेदक 10 बोनस अंक की पात्रता रखता है :-----------------
(यदि हां तो प्रमाण पत्र संलग्न करे)

16. क्या आप शासकीय संस्था में कार्यरत है (हां/नहीं):--------------------------
(यदि हा तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करे)

17. परीक्षा शुल्क का विवरण :-

डी.डी.जारीकर्ता बैंक का नाम	आवेदन शुल्क राशि	डी.डी. क्रमांक	डी.डी. जारी दिनांक

18. संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों की सूची :-
1----------------------
2.--------------------
3---------------------
4---------------------
5----------------------
6.--------------------
7---------------------
8---------------------
9---------------------
10--------------------

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त दर्शायी गयी जानकारी मेरे ज्ञान व अनुभव में पूर्णतः सत्य व पूर्ण है, उक्त जानकारी असत्य पायी जाती है या अपात्रता का पता चलने पर नियोक्ता को मेरी पात्रता/नियुक्ति निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :--------
स्थान :--------

नाम:--------------------
पूर्ण पता:-----------------
:------------------------
मोबाईल नं.:---------------

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय

सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / 713 / स्था-3/ भर्ती / 2025 — रायपुर दिनांक 12/06/2025

छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल तृतीय श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम एवं पदोन्नति नियम, 2017 के तहत अग्निशमन विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छ०ग० के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की वेबसाईट https://cghgcd.gov.in पर दिनांक 01.07.2025 से ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। मेनुअल अथवा डाक से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। भर्ती प्रक्रिया रायपुर छत्तीसगढ़ में सम्पन्न की जावेगी।

01-प्राधिकार (1) छ०ग० शासन, गृह विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के आदेश कमांक एफ 13-02/दो-गृह/न.से./2022 दिनांक 26.03.2024

02- **रिक्त पदों का विवरण**

क्र	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियां की वर्गवार संख्या में से नगर सैनिकों के लिए आरक्षित पद				योग	वेतन मैट्रिक्स लेबल
		अना	अजा	अजजा	अ.पि.व	अना	अजा	अजजा	अ.पि.व	अना	अजा	अजजा	अ.पि.व	अना	अजा	अजजा	अ.पि.व		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	स्टेशन ऑफिसर (उप निरीक्षक)	9	2	7	3	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	21	7
2	वाहन चालक	6	2	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	14	4
3	वाहन चालक कम ऑपरेटर	36	10	28	12	10	3	8	3	3	1	2	1	9	2	7	3	86	4
4	फायर मेन	49	14	38	16	14	4	11	4	4	1	3	1	12	3	9	4	117	4
5	स्टोर कीपर	13	4	10	5	3	1	3	1	1	-	1	-	3	1	2	1	32	4
6	मैकेनिक	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	4
7	वाचरूम ऑपरेटर	8	2	6	3	2	-	1	-	यह पद तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिकों से भरा जावेगा।								19	4
8	वायरलैस ऑपरेटर (संविदा)	2	-	1	1	-	-	-	-	यह पद तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिकों से भरा जावेगा।								04	एकमुश्त मासिक संविदा वेतन
																	योग	295	

टीपः- अभ्यर्थी उपरोक्त में से किसी एक पद के लिये आवेदन कर सकेंगे एक से अधिक पदों के लिये आवेदन मान्य नहीं होगा।

03- ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि- 01.07.2025

04- ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि- 31.07.2025

05- त्रुटि सुधार हेतु- 10.08.2025

06- परीक्षा शुल्क- अनारक्षित वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग रू० 300-00
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग रू0 200-00

07- महत्वपूर्ण निर्देश-

(1) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

(2) अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु आवेदन करने की तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

शासकीय सेवकों के पुत्र / पुत्री के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी, जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण के समय अपने माता व पिता की सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नति संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षों से विलग है तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(3) न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को ही आरक्षण का लाभप्रदाय किया जायेगा। उन्हें जिला सेनानी से उक्ताशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(4) छत्तीसगढ़ के मूल / स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वे पद ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) तथा जिन्होंने पूर्व में किसी शासकीय सेवा में नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ न लिया हो के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिये अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अभिवचन का नमूना निम्नानुसार है।

अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप

छ०ग० अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा परीक्षा के विज्ञापन क्रमांक के अंतर्गत आवेदन पत्र विभाग को प्रस्तुत किया है तथा मै छत्तीसगढ़ निवासी भूतपूर्व सैनिक हूँ। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित पद के विरूद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाये। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

मैंने पूर्व में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

हस्ताक्षर------------

नाम---------------

नोटः- ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु पूर्व में भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर लिया हैं, उन्हें पुनः भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

टीप :- (i) भूतपूर्व सैनिक थल सेना/जल सेना / वायु सेना
(ii) अर्ध सैनिक बल भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

(5) महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण खण्डवार सीधा आरक्षण है पात्र महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उस पद को उसी संवर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से भरा जायेगा। यदि भूतपूर्व सैनिक एवं नगर सैनिक के आरक्षण संवर्ग में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उन पदों को उस संवर्ग के अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

क्रमशः

(6) परिवीक्षा- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी।

08- चयन/भर्ती हेतु पात्रता: सीधी भर्ती / चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्-

(i) शारीरिक अर्हता :-

(क) पुरूष अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई 168 से.मी. या अधिक।
महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई 153 से.मी. या अधिक ।

(ख) अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नहीं होनी चाहिए।

(ग) सीना-बिना फुलाये 81 से.मी. फुलाने पर 86 से.मी. अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये बिना फुलाये 76 से.मी. फुलाने पर 81 से.मी. सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में दोनों के बीच का अंतर न्यूनतम 5 से.मी. का होना चाहिए तथा इस संबंध में कोई छूट नही दी जायेगी। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता / परीक्षा से मुक्त होगी।

(घ) अभ्यर्थी के घुटनों को एक साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिये एवं पैर सपाट नही होना चाहिए। अभ्यर्थी को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को दृष्टि से संबंधित कोई भी बीमारी/ विकार नही होना चाहिये। चश्में के बिना एक आंख की दृष्टि 6/9 से कम नही होना चाहियें और दूसरी आंख की दृष्टि 6/12 से कम नही होनी चाहिए। अभ्यर्थी को सभी रंगों के लिये स्पष्ट दृष्यता होना चाहिये और वर्णांधता नही होनी चाहिये। अभ्यर्थी को किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नही होना चाहिए। अभ्यर्थी को सुनने में समस्या नही होना चाहिये।

(ii) शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता
1	स्टेशन ऑफिसर (उप निरीक्षक)	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन में बी.एस.सी./बी.ई. की उपाधि या उसके समकक्ष
2	वाहन चालक	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
3	वाहन चालक कम ऑपरेटर	(2) भारी मोटर वाहन चालन का लायसेंस होना चाहिए
4	फायर मेन	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
5	स्टोर कीपर	
6	मैकेनिक	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / मान्यता प्राप्त संस्था से डीजल मैकेनिक ट्रेड में डिप्लोमा।
7	वाचरूम ऑपरेटर	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) प्रशिक्षित नगर सैनिक
8	वायरलैस ऑपरेटर (संविदा)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) प्रशिक्षित वायरलैस ऑपरेटर सहित नगर सैनिक होना चाहिए

(iii) आयु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक ना हो, परन्तु छ०ग० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक एफ 3-2/2015/1-3 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18.01. 2024 द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट रहेगी ।

उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

(i) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-कीमी लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ii) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :-

(क) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिए ।

(ख) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी / स्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

(ग) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वहा उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण शब्द छंटनी किये गये शासकीय सेवक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अथवा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(घ) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिकतम न हो ।

स्पष्टीकरण- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो,

अर्थात् :-(छ०ग० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 12.03.2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किये गये आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा । शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा ।)

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें -

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक,

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा अर्धसैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है)

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक योग्य नहीं है।

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(ड) विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पाण्डे सम्मान, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम / मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्ययीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप :-

(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा / चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने पश्चात् या तो परीक्षा / चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते है, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को

क्रमशः

परीक्षा / चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(3) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा / तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभप्राप्त करने के उपरांत अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3, नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(iv) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3, रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी ।

(v) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज / प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-

(i) शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।

(ii) विज्ञापन की कंडिका-08 (iii) की उप कंडिका-i एवं ii (क), (ख), (ग), (घ), (ज), (झ) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी / नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

(iii) विज्ञापन की कंडिका-08 (iii) की उप कंडिका-ii (ड) के अंतर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र तथा विधवा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र ।

(iv) विज्ञापन की कंडिका-08 (iii) की उप कंडिका-ii (च) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए जिला मजिस्ट्रेट /सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट / राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

(v) विज्ञापन की कंडिका-08 (iii) की उप कंडिका-ii (छ) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र ।

(vi) विज्ञापन की कंडिका-08 (iv) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव का प्रमाण-पत्र ।

09- **चयन प्रक्रिया** - प्रतियोगी परीक्षा की चयन प्रक्रिया निम्नानुसार आयोजित की जायेगीः-

(i) आवेदन पत्रों की छानबीन आवेदन पत्रों की छानबीन करते हुए समस्त विहित मापदण्ड/ अर्हताओ को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम चरण (शारीरिक दक्षता परीक्षा) के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी।

(ii) शारीरिक माप के लिये मापदण्ड अभ्यर्थी की शारीरिक योग्यता, सरल क्रमांक 08 के उप क्रमांक (i) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मापदण्ड / योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। टीप शारीरिक माप से संबंधित किसी विवाद के संबंध में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(iii) शारीरिक दक्षता परीक्षा यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी।

(क) स्टेशन आफिसर उपनिरीक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 300 अंको की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाऐं सम्मिलित होंगी :-

क्र	मद (आयटम) पुरूष अभ्यर्थी	अंक.	मद (आयटम) पुरूष अभ्यर्थी	अंक
1	2	3	4	5
1-	लम्बी कूद (तीन प्रयास)	60	लम्बी कूद (तीन प्रयास)	60
	12 फिट (3.66 मीटर) तक	00	08 फिट (2.44 मीटर) तक	00
	14 फिट (4.27 मीटर)	12	10 फिट (3.05 मीटर)	12
	16 फिट (4.88 मीटर)	24	12 फिट (3.66 मीटर)	24
	17 फिट (5.18 मीटर)	36	13 फिट (3.96 मीटर)	36
	18 फिट (5.49 मीटर)	48	14 फिट (4.27 मीटर)	48
	19 फिट (5.79 मीटर) या अधिक	60	15 फिट (4.57 मीटर) या अधिक	60
2-	ऊँची कूद (तीन प्रयास)	60	ऊँची कूद (तीन प्रयास)	60
	04 फिट (1.22 मीटर) तक	00	03 फिट (0.91 मीटर) तक	00
	04 फिट 02 इंच (1.27 मीटर)	12	03 फिट 02 इंच (0.97 मीटर)	12
	04 फिट 04 इंच (1.32 मीटर)	24	03 फिट 04 इंच (1.02 मीटर)	24
	04 फिट 06 इंच (1.37 मीटर)	36	03 फिट 06 इंच (1.07 मीटर)	36
	04 फिट 06 इंच (1.42 मीटर)	48	03 फिट 08 इंच (1.12 मीटर)	48
	04 फिट 10 इंच (1.47 मीटर) या अधिक	60	03 फिट 10 इंच (1.17 मीटर) या अधिक	60
3-	गोला फेंक (तीन प्रयास) वजन 16 पाउण्ड	60	गोला फेंक (तीन प्रयास) वजन 08 पाउण्ड	60
	04 मीटर तक	00	04 मीटर तक	00
	05 मीटर	12	05 मीटर	12
	06 मीटर	24	06 मीटर	24
	07 मीटर	36	07 मीटर	36
	08 मीटर	48	08 मीटर	48
	09 मीटर या अधिक	60	09 मीटर या अधिक	60
4-	100 मीटर दौड़	60	100 मीटर दौड़	60
	12.5 सेकेण्ड या कम	60	14.5 सेकेण्ड या कम	60
	13.5 सेकेण्ड	48	15.5 सेकेण्ड	48
	14.5 सेकेण्ड	36	16.5 सेकेण्ड	36
	15.5 सेकेण्ड	24	17.5 सेकेण्ड	24
	16.5 सेकेण्ड	12	18.5 सेकेण्ड	12
	16.5 सेकेण्ड से अधिक	00	18.5 सेकेण्ड से अधिक	00
5-	दौड़ 1500 मीटर	60	दौड़ 1500 मीटर	60
	5 मिनिट	60	6 मिनिट	60
	5 मिनिट 10 सेकेण्ड	48	6 मिनिट 10 सेकेण्ड	48
	5 मिनिट 20 सेकेण्ड	36	6 मिनिट 20 सेकेण्ड	36
	5 मिनिट 30 सेकेण्ड	24	6 मिनिट 30 सेकेण्ड	24
	5 मिनिट 40 सेकेण्ड	12	6 मिनिट 40 सेकेण्ड	12
	5 मिनिट 40 सेकेण्ड से अधिक	00	6 मिनिट 40 सेकेण्ड से अधिक	00

(ख) वाहन चालक, वाहन चालक कम आपरेटर, फायरमेन, स्टोरकीपर, मेकेनिक, वाचरूम आपरेटर एवं वायरलेस आपरेटर संविदा पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 100 अंकों में से, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक अर्जित करने होंगे, इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाऐं सम्मिलित होंगी :-

दौड-100 मीटर अधिकतम अंक-25

पुरूष-100 मीटर दौड़ 10 कि.ग्रा. वजन के साथ महिला 100 मीटर दौड़ 5 कि.ग्रा. वजन के साथ

पुरुष		महिला	
समय सेकेण्ड में	**अंक**	**समय सेकेण्ड में**	**अंक**
15 सेकेण्ड	25	15 सेकेण्ड	25
16 सेकेण्ड	20	16 सेकेण्ड	20
17 सेकेण्ड	15	17 सेकेण्ड	15
18 सेकेण्ड	10	18 सेकेण्ड	10
19 सेकेण्ड	05	19 सेकेण्ड	05
20 सेकेण्ड	00	20 सेकेण्ड	00

लंबी कूद-अधिकतम अंक-25

पुरूष		महिला	
लम्बाई	**अंक**	**लम्बाई**	**अंक**
03 मीटर से कम	00	02 मीटर से कम	00
03 मीटर 50 से.मी.	05	02 मीटर 50 से.मी.	05
03 मीटर 75 से.मी.	09	03 मीटर	09
04 मीटर	13	03 मीटर 25 से.मी.	13
04 मीटर 50 से.मी.	17	03 मीटर 75 से.मी.	17
05 मीटर	21	04 मीटर	21
05 मीटर 50 से.मी. से अधिक	25	04 मीटर 25 से.मी. से अधिक	25

गोला फेंक अधिकतम अंक-25

पुरूष-गोला फेंक (वजन-08 पाउण्ड)

महिला-गोला फेंक (वजन-16 पाउण्ड)

क्रमशः

पुरुष		महिला	
लम्बाई	अंक	लम्बाई	अंक
05 मीटर 50 से.मी. से कम	00	4 मीटर से कम	00
05 मीटर 50 से.मी.	05	4 मीटर	05
06 मीटर	09	04 मीटर 50 से.मी.	09
06 मीटर 50 से.मी.	13	05 मीटर	13
07 मीटर	17	06 मीटर	17
08 मीटर	21	07 मीटर	21
09 मीटर या अधिक	25	08 मीटर या अधिक	25

बीमबार अधिकतम अंक-25

पुरुष-बीमबार **महिला-बीमबार**

पुरूष		महिला	
संख्या	अंक	संख्या	अंक
12 बार	25	06 बार	25
10 बार	22	05 बार	22
08 बार	15	04 बार	15
06 बार	10	03 बार	10
05 बार	05	02 बार	05
04 बार या कम	00	01 बार या कम	00

(iv) **लिखित परीक्षा :** लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी तथा परीक्षा की कुल अवधि दो घंटें की होगी। निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्नों को परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा :-

क	चरण	कुल अंक	विषय	अनिवार्य प्राप्तांक
1	लिखित परीक्षा	100	विषय विशिष्ट, सामान्य ज्ञान / तार्किक /विश्लेषणात्मक तर्क	सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 40 अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 30 अंक प्राप्त करना/अर्जित करना अनिवार्य होगा।

वाहन चालक/वाहन चालक ऑपरेटर ट्रेड के अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी, इसके लिये कुल 100 अंक होंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना/अर्जित करना होगा ।

10- **बोनस अंक :-** प्रत्येक अभ्यर्थी को 05 बोनस अंक दिया जायेगा, यदि यह नीचे उल्लिखित विशेष योग्यता धारण करता हो। किन्तु अभ्यर्थी को अधिकतम 10 बोनस अंक दिये जायेगे, भले ही अभ्यर्थी दो से अधिक विशेष योग्यता धारण करता हो। ये विशेष योग्यतायें है :-

(क) भारी मोटर वाहन चालन का लायसेंसधारी,

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में प्रवीणता। (केवल वे अखिल भारतीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता जिनका सीधा आयोजन उस खेलकूद के अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत किया जाता है, वहां के केवल विजेता खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी)।

(ग) **एन.सी.सी.सी** प्रमाण पत्र धारी ।

टीपः- भारी मोटर वाहन चालक का लायसेंसधारी होने पर बोनस अंक वाहन चालक, वाहन चालक कम आपरेटर के पदों को छोड़कर शेष पदों हेतु प्रदाय किये जायेंगे।

11- **चयन सूचीः-** स्टेशन ऑफिसर (उपनिरीक्षक) पद हेतु, शारीरिक दक्षता परीक्षा अंक 300, लिखित परीक्षा अंक 100 एवं बोनस अंक 10 केवल पात्रतानुसार के आधार पर तथा शेष पदों यथा वाहन चालक, वाहन चालक कम आपरेटर, फायरमेन, स्टोरकीपर, मैकेनिक, वाचरूम आपरेटर एवं वायरलैस आपरेटर (संविदा) हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा अंक 100, लिखित परीक्षा अंक 100 एवं बोनस अंक 10 (केवल पात्रतानुसार) के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी। बोनस के 10 अंक की गणना पृथक से की जायेगी। लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं बोनस अंको में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट कम के आधार पर सूची तैयार की जायेगी। सर्वप्रथम, सभी वर्गो के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी । इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे, जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार है एवं जो अनारक्षित पदों के लिए सभी मापदण्ड पूरा करते हैं। शेष अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के आधार पर, उनके अपने-अपने जाति/श्रेणी प्रवर्गो के लिए विज्ञापित आरक्षित पदों के अनुसार पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी ।

12- **चयन सूची का अनुमोदन** लिखित परीक्षा एक बार आयोजित होगी और चयन सूची अग्निशमन एवं आपातकालीन तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय द्वारा विहित अनुसूची के अनुसार तैयार की जायेगी, चयन समिति समस्त आवश्यक अभिलेख महानिदेशक को अनुमोदन हेतु भेजेगी। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय द्वारा विहित कार्यक्रम के अनुसार सूची का परीक्षण, विचारण तथा जांच करने के पश्चात् अनुमोदन आदेश जारी किये जायेगें ।

13- **परीक्षा फीस (शुल्क) :-**

(क) अभ्यर्थी को समिति द्वारा विहित फीस (शुल्क) का भुगतान करना होगा।

(ख) चिकित्सा (स्वास्थ्य) परीक्षा फीसः उन अभ्यार्थियों को जिन्हें किसी चिकित्सीय परीक्षा हेतु चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो स्वास्थ्य परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी अपेक्षित चिकित्सा परीक्षा / टेस्ट फीस का भुगतान करना होगा जो शासन द्वारा समय-समय पर विहित की जाए।

14- **निरर्हता**

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में / चयन हेतु उपस्थित होने हेतु निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी।

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये।

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

15- **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा**

(1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :-

01- छ०ग० राज्य का मूल निवासी प्रमाण-पत्र।

02- शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र

03- उच्चतर आयु में छूट प्राप्त करने के लिए वांछित प्रमाण पत्र।

04- आरक्षण का लाभ करने के लिए जाति प्रमाण पत्र।

05- आय प्रमाण पत्र (गैर क्रीमीलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)

06- भूतपूर्व सैनिकों/नगर सैनिकों के मामले में वांछित प्रमाण पत्र।

07- बोनस अंक हेतु-01 हेवी व्हीकल ड्राईविंग लायसेंस 02 नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 03 एनसीसी-सी सर्टिफिकेट।

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये की जाने वाली चयन प्रक्रियाऐं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगीं।

महानिदेशक
नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं
तथा एसडीआरएफ छत्तीसगढ़

HIGH COURT OF CHHATTISGARH : BILASPUR

Adv. No.01/S & A Cell/2025 Dated: 07/07/2025

APPLICATION FOR THE POST OF DISTRICT JUDGE (ENTRY LEVEL) THROUGH LIMITED COMPETITIVE EXAMINATION-2025 UNDER RULE 5(1)(b) OF CHHATTISGARH HIGHER JUDICIAL. SERVICE (RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) RULES, 2006

As per the directions of Hon'ble the Supreme Court given in C.A. 1867/06 in the matter of Malik Mazhar Sultan and Another V/s U.P. Public Service Commission & Ors., 10% of the vacancies in the cadre of District Judge (Entry Level) has to be filled up by promotion through Limited Competitive Examination from Civil Judge (Senior Division) having not less than five years of qualify ing service as Civil Judge (Senior Division).

Applications are invited in the prescribed format an nexed herewith from the eligible Civil Judges (Senior Division) having not less than 5 years of qualifying service as Civil Judges (Senior Division) for filling up of 03 (three) vacancies in the cadre of District Judge (Entry Level) through limited competitive examination.

The Civil Judges (Senior Division) having not less than 5 years of qualifying service as Civil Judges (Senior Division) shall only be eligible to appear in the said examination.

Candidates appearing for promotion through limited competitive examination under Rule 5(1)(b) shall be required to secure minimum 50% marks in the written examination and mini mum 33% marks in the viva-voce.

The application shall be sent through the concerning Principal District Judges and an advance copy must be sent directly to the Registrar General, High Court of C.G., Bilaspur so as to reach this Registry on or before 26/07/2025 till 5:00 P.M. The appli cations received after 5:00 P.M. of 26/07/2025 shall not be entertained.

Annexed-

1. Format of application & Identity sheet

2. Scheme of Examination

Registrar General

(The application form must be computer printed or downloaded in A4 size paper)

APPLICATION FOR THE POST OF DISTRICT JUDGE (ENTRY LEVEL) THROUGH LIMITED COMPETITIVE EXAMINATION-2025 UNDER RULE 5(1)(b) OF CHHATTISGARH HIGHER JUDICIAL SERVICE (RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) RULES, 2006

Roll No.
(For office use only)

Affix here your Recent passport size 3.5 x 4.5 cm. self attested photograph (not to be stapled)

1. Full name in BLOCK LETTERS :-------------------------
2. Father's/Husband's Name :-------------------------
3. Date of Birth :-------------------------
4. Date of appointment as Civil Judge (Senior Division) :-------------------------
5. Period of service as Civil Judge (Senior Division) as on 01.01.2025 :-------------------------
6. Present place of posting :-------------------------
7. E-mail address :-------------------------
8. Contact No. :-------------------------

Place:.....................

Date:......................

Signature of the Applicant

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

IDENTITY-SHEET

District Judge (Entry Level) Through Limited Competitive Examination 2025

Examination Centre
(for office use only)

Roll No
(for office use only)

Date & Time of Examination

Date:----------------Time: Paper-I Law--------& Paper-II Law--------

(To be filled by candidate)

Candidate's Name :------------------
Father's/Husband's Name :-----------------
Date of Birth :------------------
Gender :------------------
Present place of posting :------------------

Affix here your Recent passport size 3.5 x 4.5 cm. self attested photograph (not to be stapled)

Candidate's Signature

Candidate's Signature in Examination Hall

(Paper I LAW) Answer sheet No---------

(Paper II LAW) Answer sheet No.----

Signature of Centre Head / In-charge (With Seal)

Verified the signature and photo of the candidate.

(Signature of the invigilator) (Paper I LAW)

(Signature of the invigilator) (Paper II LAW)

Note: Before sending the application form along with Identity Sheet the candidate must ensure that the information filled in the Identity Sheet is correct. Also put his/her Signature in the appropriate space.

Scheme of Examination - 2025

Departmental Limited Competitive Examination of 2 papers of 3 hours cach.

Competitive Examination:-

I. Paper-I Law **(Maximum marks-100)**

(A) The Code of Civil Procedure, 1908
The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (No.47 of 2023)
The Limitation Act, 1963
The Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No.12 of 2012)
(Maximum marks-25)

(B) The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No.46 of 2023)
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (No.45 of 2023)
The Prevention of Corruption Act, 1988
Chhattisgarh Excise Act, 1915
The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 The Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985
(Maximum marks-25)

(C) The Transfer of Property Act, 1882
The Indian Contract Act, 1872
The Specific Relief Act, 1963
The Indian Forest Act, 1927
The Wild Life (Protection) Act, 1972
The Environment (Protection) Act, 1986 **(Maximum marks-25)**

(D) Principles of Pleading Conveyance
The Constitution of India **(Maximum marks -25)**

Paper-II Law **(Maximum marks 100)**

(a) Framing of Issues and writing of Judgment in Civil Cases. **(Maximum marks 40)**

(b) Framing of charges and writing of Judgment in Criminal Cases. **(Maximum marks 40)**

(c) Translation **(Maximum marks 20)**

(1) English to Hindi 10 marks

(ii) Hindi to English 10 marks

III-Performance appraisal 30 marks

IV-Viva Voce 20 marks

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

पुराना हाईकोर्ट बिल्डिंग, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

E-mail- cgslsa@gmail.com cgslsa.cg@nic.in Website-www.cgslsa.gov.in

F.N./ 1933/ II-16-01/2007 Bilaspur Date 08/07/2025

स्थाई लोक अदालत (जनोंपयोगी सेवा) में अन्य व्यक्ति (सदस्यों) की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 बी के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय बस्तर (जगदलपुर), बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एवं सरगुजा (अंबिकापुर.) में स्थापित स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) में पूर्व में प्राप्त आवेदनों को लंबित रखते हुए अन्य इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :-

अर्हताः-आवेदक को निम्नानुसार लोक सेवा के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिये।

1. वायु, सड़क या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, या
2. डाक, तार या टेलीफोन सेवा,
3. किसी भी स्थापना द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय या,
4. सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली,
5. अस्पताल या औषधालय सेवा, या
6. बीमा सेवा,
7. बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की सेवा,
8. किसी स्थापना द्वारा सामान्यजन को किसी भी प्रकार के ईधन का प्रदाय,
9. शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों,
10. आवास और भू सम्पदा सेवाएं।

आयु सीमाः- अधिकतम आयु 65 वर्ष के भीतर होना चाहिए

अन्य शर्तेः-

1. प्रारम्भ में नियुक्ति 01 वर्ष के लिये होगी, जिसे संतोषप्रद सेवा पाये जाने पर तीन वर्ष या आवेदक की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक जो भी पहले हो बढ़ाया जा सकेगा।
2. मानदेय व अन्य सुविधाएँः- Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and other Persons Rules, 2003) के अनुरूप देय होगी।
3. चयन प्रकिया प्राप्त आवेदन पत्रों के स्क्रीनिंग पश्चात आगे की चयन प्रकिया छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा गठित तीन सदस्यों की कमेटी द्वारा की जावेगी। कमेटी द्वारा उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों की सूची माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय / मुख्य संरक्षक महोदय, द्वारा अनुमोदन के पश्चात राज्य शासन को प्रेषित की जावेगी।
4. आवेदक को स्वयं यह घोषणा पत्र देना होगा कि उसका किसी भी जनोपयोगी सेवाओं में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य प्रकार का हित नही है।
5. आवेदन पत्र का प्रारूप छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के वेबसाइट http://cgslsa.cg.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है, अथवा छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर या संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से प्राप्त किया जा सकता है।
6. आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सम्मिलित की जावे।
7. नियुक्ति से संबंधित शर्तें व नियम के संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
8. सदस्य अन्य व्यक्ति के रूप में नियुक्ति किसी प्रकार का नियोजन नहीं है, और नियोजन का कोई अधिकार सृजित नहीं करता है, बल्कि स्वसेवा है। जिस कार्य निष्पादन के लिये निर्धारित मानदेय व यात्रा भत्ता देय है।
9. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/07/2025 है, इस तिथि को कार्यालय समय पश्चात (सायं 5:00 बजे के पश्चात) प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा।
10. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एफएन/1062/ii-16-01/2007 दिनांक 16-04-2025 के द्वारा जारी विज्ञापन के परिपालन में प्राप्त आवेदनों को विचार हेतु लंबित रखा गया है।

सदस्य
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
बिलासपुर

रिक्त पदों की संख्या-

1. रायपुर-02 पद,
2. बिलासपुर-01 पद,
3. बस्तर, (जगदलपुर)-02 पद.
4. दुर्ग-01 पद.
5. सरगुजा (अंबिकापुर) 01 पद,

आवेदन पत्र

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 वीं के तहत संस्थापित स्थाई लोक अदालत जनोपयोगी सेवा में नियुक्त सदस्य जिनका कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप पद रिक्त हुए हैं, पर सदस्यों या अन्य व्यक्तियों (Members/other Person) की नियुक्ति हेतु।

जिले का नाम जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है.....(केवल एक जिला ही अंकित किया जावे)

1. आवेदक का नाम-----------------------------------
   हिन्दी में----------------------------
   अंग्रेजी में--------------------------
2. आवेदक के पिता/पति का नाम----------------------
3. जन्म तिथि (शब्दों व अंको में)---------------------------
4. गृह जिला-----------------------
5. स्थायी निवास का पता-----------------(संपर्क नंबर)-----------------
6. वर्तमान पत्ता----------------- (टेलीफोन नंबर)-----------------------
7. मोबाइल नंबर------------------
8. ई-मेल एड्रेस-------------------
9. कार्यालय का पता----------------------
10. शैक्षणिक योग्यताएँ (सेकण्डरी, सीनियर सेकण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात् अर्जित) :-

क्र	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत

11. सेवारत आवेदक के लिए सेवा में प्रवेश की तारीख--------------------
12. वर्तमान पद नाम (सेवारत आवेदक के लिए)--------------
13. अंतिम पद धारित (सेवा निवृत्त आवेदक के लिए)------------------
14. सेवा निवृत्ति की दिनांक---------
    (सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)
15. जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित / सेवा/व्यवसाय का कार्यानुभवः-

वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज

16. अन्य कार्य/व्यवसाय का अनुभव

वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज

17. वर्तमान कार्य/व्यवसाय (Occupation) का विवरण-----------------
18. वर्तमान पता का प्रमाण पत्र संलग्न करें-----------------
19. वर्तमान वार्षिक आय. (अंतिम आयकर विवरणिका संलग्न करें) -----------------
20. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी है? हॉ/नही------------
21. यदि आवेदन के विरूद्ध संपूर्ण सेवाकाल के दौरान कोई भी विभागीय जाँच या प्रांरम्भिक जाँच की गई हो या लंबित हो या दण्डित किया गया हो तो उसका विवरण दें।
    (सेवारत / सेवानिवृत्त के लिए) ------------------
22. यदि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोजन किया गया हो तो उसका विवरण दें।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं---------पुत्र/पत्नी-----------घोषणा करता/करती हूँ, कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य है, तथा कोई भी तथ्य छुपाया नही गया है। मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ, कि मेरा जनोपयोगी सेवा में किसी भी प्रकार का वित्तीय या अन्य हित नहीं है।

दिनांकः--------- **आवेदक के हस्ताक्षर**

स्थानः------

नोटः आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र शैक्षणिक प्रमाण पत्र व सेवा निवृत्ति आदेश की स्वसत्यापित प्रतियों संलग्न करें। आवश्यकता अनुसार अन्य दस्तावेज भी संलग्न किये जावें।

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, रायगढ़

के.आई.टी. कॉलेज के पास, अग्रसेन आई. टी. आई. के बगल में उड़िसा रोड, गढ़उमरिया, रायगढ़ (छ.ग.)

(Email-dplcs-raigarh@cg.gov.in, website-splc.cgstate.gov.in, cssda.cg.nic.in, Phone-07762-299505

क्रमांक/जिपलाकॉसो/प्र.नि./2025-26/79 रायगढ़, दिनांक 15.07.2025

-: वाक इन इन्टरव्यू :-

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, रायगढ़ अंतर्गत विभिन्न कोर्स में अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण कार्य हेतु योग्य व अनुभवी अस्थायी प्रशिक्षकों को इम्पैनल किए जाने हेतु दिनांक- 29.07.2025 समय प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक, स्थान सभाकक्ष, जिला पंचायत रायगढ़ में वाक इन इन्टरव्यू आयोजित है। विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय के सूचना पटल एवं रायगढ़ जिले के वेब साईट https://raigarh.gov.in एवं https://cssda.cg.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र वांछित दस्तावेज के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होवें। विस्तृत विवरण, आवश्यक अहर्ता चयन प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

S. No	Name of Course	NSQF Course Code	No, of Post	Trainer Qualification & Sector Experience
1	CRM Domestic Voice	SSC/Q2210	01 UR	Minimum Educational Qualifications:- 10th Experience:- Field experience: Minimum 2 years' experience in the same domain. Training experience: 1 year preferred
2	Food & Beverage Service-Steward	THC/00301-4	01 UR	Minimum Educational Qualifications:- Certificate/Diploma/Degree in Hotel Management Experience:- Sector Specific Experience: Minimum 5 years. Teaching experience is preferred.
3	Assistant Electrician	CON/Q0602-3	01 UR	12th with 4 years Sector Specific Experience **OR** ITI with 4 years Sector Specific Experience Diploma with 2 years Sector Specific Experience **OR** B Tech with 1 years Sector Specific Experience **OR** M Tech with 1 years Sector Specific Experience
4	Electrician Domestic Solutions	PSS/Q6001-3	01 UR	ITI with 5 years Sector Specific Experience **OR** Diploma with 2 years Sector Specific Experience **OR** B.E. with 1 years Sector Specific Experience OR B.Tech with 1 years Sector Specific Experience
5	Jal Vitaran Sanchaalak (Water Distribution Operator) (Multi-Skill)	PSC/Q0122-4	01 UR	B.E./B.Tech (Civil or Mechanical Engineering) with 2 years Relevant Industry Experience and 1 year Training Experience in Plumbing. Construction and electrical (Any one of them) OR Diploma (Civil or Mechanical) with 2 years Relevant Industry Experience and 1 year Training Experience in Plumbing, Construction and electrical (Any one of them) OR Graduation (Science) Plumbing Environmental Engineering / Water Management with 2 years Relevant Industry Experience and 1 year Training Experience in Plumbing, Construction and electrical (Any one of them) OR CITS Certified (Plumbing)
6	Soft Skill Spoken English & Communication Skill Trainer	-	01 UR	Graduate/PG in English Language with minimum 1 year teaching experience. **Desirable** I Year any Basic Computer Knowedge Certificate & He/She should be able to commacanicate in English and local Language. Good knowledge of sector related services /processes with prt or experience in training/teaching. He should be able to communicate in English and local language. **Note:** In case the desired qualified applicant is not available as per the above, general Post Graduate and with 3 years of teaching experienced applicant will also be considered.

नियम एवं शर्ते :-

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है इस हेतु समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. आवेदक की आयु 1 जनवरी 2025 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। आयु प्रमाण-पत्र हेतु 10 वीं कक्षा का अंकसूची संलग्न करें।
3. इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होंगे।
4. आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर नवीनतम स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना अनिवार्य है। अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किये गये आवेदन पत्र अमान्य किए जा सकेंगे।
6. उपरोक्त इम्पैनल प्रशिक्षक पूर्णतः अस्थायी है तथा राज्य कार्यालय से प्राप्त प्रशिक्षण लक्ष्य पर निर्भर करता है। संस्था प्रशिक्षण कार्य उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं होगी।
7. उम्मीदवार को अपना पंजीयन एवं स्वप्रमाणित दस्तावेज सत्यापन निर्धारित समयानुसार कराना होगा। पंजीयन एवं सत्यापन हेतु आवेदक को आवेदन पत्र, मूल दस्तावेज व उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
8. चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है :-
   40 प्रतिशत अंक- आवेदित पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक / तकनीकि योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का
   20 प्रतिशत अंक- संबंधित सेक्टर / कोर्स में CITS/CTS, TOT (SSC only) प्रमाण पत्र संलग्न करने पर
   20 प्रतिशत अंक- अनुभव का
   (पद में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आवश्यक न्यूनतम अनुभव पर 10 अंक तथा उससे अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 03 अंक, कुल अधिकतम 20 अंक तक)
   20 प्रतिशत अंक- साक्षात्कार हेतु ।
9. अभ्यर्थियों का चयन उपरोक्तानुसार निर्धारित मापदण्ड अनुसार तैयार मेरिट सूची के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
10. चयन सूची कार्यालय के सूचना पटल व जिले के वेब साईट पर प्रदर्शित की जावेगी।
11. उपरोक्त पदों पर भर्ती पूर्णतः अस्थायी है तथा राज्य कार्यालय से प्राप्त प्रशिक्षण लक्ष्य पर निर्भर करता है। उपरोक्त पद के विरूद्ध यदि शासन द्वारा नियमित / स्थानांतरित / संविदा नियुक्ति की जाती है तो संबंधित प्रशिक्षक की यह नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
12. संबंधित संस्था के लेटर हेड में प्रदाय अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
13. यदि आवेदक किसी अन्य संस्था में कार्य कर रहा हो तो संबंधित संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।
14. यदि आवेदक एक से अधिक कोर्स/पद के लिए योग्य है, तो पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
15. मेरिट सूची चयनित प्रथम अभ्यर्थी को कार्यादेश जारी करने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध रहेगी। इस अवधि में कार्यादेश जारी किये गये अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने/कार्य छोड़ देने/पदों की संख्या बढ़ने से इसी मेरिट सूची के प्रतीक्षा सूची से चयन की कार्यवाही की जायेगी।
16. चयनित अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सूचना मिलने के 07 दिवस के भीतर कार्यालय, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, जिला-रायगढ़ में उपस्थिति देना अनिवार्य है। अन्यथा चयन स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं मेरिट सूची के प्रतीक्षा सूची के अभ्यार्थियों को मौका दिया जावेगा।
17. उक्त कोर्स में चयनित उम्मीदवार का CITS/CTS, TOT (SSC only) नहीं होने की स्थिति में संस्था के निर्देश प्राप्ति उपरांत एक माह के भीतर स्वयं के व्यय पर सर्टिफिकेशन करना अनिवार्य रहेगा। अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
18. उक्त प्रक्रिया के दौरान आने व जाने का किसी प्रकार व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।
19. अस्थायी प्रशिक्षक के रूप में चयनित अभ्यर्थियों को मासिक मानदेय राशि रू. 18,000/- (अक्षरी-अठारह हजार रू. मात्र) प्रशिक्षण अवधि के लिए ही देय होगी, उक्त प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर मानदेय की पात्रता नहीं होगी, किन्तु आगामी निरंतर प्रशिक्षण कार्य संचालित होने पर प्रशिक्षकों को मानदेय राशि देय होगी। (एक माह से कम या अधिक होने की स्थिति में प्रशिक्षकों के न्यूनतम मानेदय का निर्धारण प्रतिदिवस के आधार पर गणना कर देय होगी।)

क्रमशः

20. चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण कार्य के अतिरिक्त हितग्राहियों का मोबेलाईजेशन करना, उनका काउंसलिंग एवं प्रशिक्षण उपरान्त उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का 03 माह के भीतर नियोजन कराने का कार्य करना होगा।

21. अगर किसी बैच में प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रशिक्षक की भर्ती की जाती है, तत्पश्चात् संबंधित कोर्स में प्रशिक्षण संचालन नहीं होने की दशा में नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं।

22. चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण मानदेय के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता एवं किसी प्रकार की सुविधा देय नहीं होगा एवं अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

23. चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु इम्पैनल करके रखा जायेगा, प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 15 दिवस पूर्व कार्य पर बुलाया जायेगा। उक्त 15 दिवस में प्रशिक्षक द्वारा किए गए कार्य हेतु मानदेय देय होगा।

24. चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, भर्ती प्रक्रिया में होने वाले किसी भी वाद-विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, रायगढ़ को होगा।

कलेक्टर सह अध्यक्ष
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी,
रायगढ़ (छ.ग.)

अस्थायी प्रशिक्षक हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,
सहायक परियोजना अधिकारी,
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी,
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

विषय :- अस्थायी प्रशिक्षक हेतु आवेदन पत्र।
महादेय,
अस्थायी प्रशिक्षक हेतु निम्नांकित विवरणों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत है:-

1. आवेदित कोर्स/कोर्ड का नाम :-----------------------
2. आवेदक/आवेदिका का नाम :-----------------------
3. पिता/पति का नाम :-----------------------
4. जाति/वर्ग :-----------------------
5. जन्मतिथि (अंको में) :-----------------------
   (शब्दों में) :-----------------------
6. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :-----------------------

   ----
7. फोन/मोबाईल नं. :-----------------------
8. ईमेल आईडी -----------------------
9. स्थायी निवास का पूर्ण पता -----------------------

   ----
10. आवेदित पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकि योग्यता:-----------------------
11. शैक्षणिक एवं तकनीकि योग्यता

क्र.	परीक्षा का नाम	मण्डल/बोर्ड/ विश्वविद्यालय/आईटीआई	विषय / व्यवसाय	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

नोट-कक्षा 10 वीं तथा उससे उच्चतम योग्यता का उल्लेख करें।

12. अनुभव (अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करें।)

विभाग/संस्था का नाम	पदनाम	कार्य अवधि (कब से)	कार्य अवधि कब तक	कार्य की प्रकृति (सेवा/प्रशिक्षण/नियोजन)	कुल अनुभव	
					वर्ष	माह
1	2	3	4	5	6	

13. CITS/CTS, TOT (SSC only) प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र हॉं / नहीं
यदि हॉं तो :-
प्रमाणपत्र जारीकर्ता का नाम :-------------------------------
कोर्स का नाम :-------------------------------
वैधता दिनांक :-------------------------------

14. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः-
1.----------------- 2.---------------- 3.-----------------
4.--------------- 5.--------------- 6.---------------
7---------------

(आवेदक के हस्ताक्षर)

// घोषणा पत्र //

मैं यह प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त सभी जानकारियां जो मेरे द्वारा दी गई है. वह पूर्णतः सत्य है यदि यह जानकारी असत्य पाई जावेगी तो मेरा आवेदन / उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी व आवश्यक कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/ रहूंगी।
स्थान :-------------
दिनांक :-------------

(आवेदक के हस्ताक्षर)
पूरा नाम-----------------
पूर्ण पता :----------------

राष्ट्रीय रोजगार सेवा
जिला रोजगार पूर्व स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र
कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

Phone no. 07736-296087, Email employmentkondagaon@rediffmall.com

क्रमांक/6/1/जिरोस्वरोमार्क/स्था./अग्निवीर वायु/2025 कोण्डागांव,दिनांक 14.07.2025

भारतीय वायु सेना में अग्नीवीरवायु भर्ती हेतु अविवाहित युवक एवं युवतियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। अग्नीवीरवायु भर्ती हेतु ऑनलाईन पंजीयन की प्रारंभिक तिथि 11 जुलाई 2025 एवं अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। अग्नीवीरवायु हेतु निर्धारित योग्यता का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-

वैवाहिक स्थिति एवं जन्म तिथि का विवरण

1 अविवाहित उम्मीदवार का जन्म 02 जुलाई 2005 और 02 जनवरी 2009 (दोनों तिथियॉं सम्मिलित) के मध्य हुआ हो ।

शैक्षणिक योग्यताः

(अ) विज्ञान विषय के आवेदकों हेतुः- आवेदक केन्द्रीय/केन्द्रशासित/राज्य के मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में गणित, भौतिकी एवं अंग्रेजी विषयों के कुल योग का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एवं अंग्रेजी विषय में 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण हो।

अथवा

आवेदक केन्द्रीय/केन्द्रशासित राज्य के मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैकनिकल/इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/आटोमोबाइल/कम्प्यूटर साईस/इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी/ इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी आदि विषयों के साथ 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण हो।

अथवा

आवेदक केन्द्रीय / केन्द्रशासित राज्य के मान्यता प्राप्त बोर्ड से द्विवर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण हों।

(ब) अन्य विषय के आवेदकों हेतुः-आवदेक केन्द्रीय/केन्द्रशासित/राज्य के मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमिडिएट 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एवं अग्रेंजी विषय में 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण हो।

अथवा

आवेदक केन्द्रीय/केन्द्रशासित/राज्य के मान्यता प्राप्त बोर्ड से द्विवर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम में न्यूनतन 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण हो।

उंचाई:- पुरुष आवेदकों की न्युनतम 12 सें.मी. एवं महिला आवेदकों की न्यूनतम ऊंचाई 152 से.मी. होना आवश्यक है।

वजन:- आवेदक का वजन ऊंचाई एवं उम्र के अनुपात होना आवश्यक है।

सीना:- पुरुष आवेदकों हेतु 77 से.मी. तथा 5 से.मी. का विस्तार आवश्यक है।
महिला आवेदकों हेतु शारीरिक बनावट के अनुरूप तथा 5 से.मी. का विस्तार आश्यक है।

अग्निवीरवायु हेतु पंजीयन के लिए आवेदक स्वयं / किसी भी च्वाईस सेंटर के माध्यम से https://agnipathvayu.cdac.in पर जाकर पंजीयन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिये वायु सैनिक भर्ती कार्यालय, भोपाल से 0755-260455 से संपर्क कर सकते हैं।

प्रभारी जिला रोजगार अधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

क्र./1064/मबावि/स्था./2025-26 जांजगीर, दिनांक 09/07/2025

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (Hub for Empowerment of Women) के संचालन हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति की शुरूआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हब (SHEW) एवं प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र, हब (DHEW) स्थापित किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय हब हेतु जिले मे 01 संविदा पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त है। आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक **11/08/2025** है, विज्ञापित पद निम्नानुसार हैः-

क्र.	पदनाम	जिले में स्वीकृत पदों की संख्या					वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन
		अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अपिव.	योग		
01	जेन्डर विशेषज्ञ	0	0	01	0	01	8	25780/-

चयन हेतु आवश्यक शर्तेः-

01 आयु सीमा-

1 अभ्यर्थी की आयु 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटो को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2 आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8 वीं, 10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

3 छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इस पद हेतु 02 पद बोनस अंक दिया जाएगा।

4 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जावेंगे।

5 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित अभि तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो. पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

7 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।

8 केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। गैर सरकारी संगठन का अनुभव प्रमाण पत्र केवल सक्षम / नियंत्रणकर्ता शासकीय अधिकारी जारी किये जाने पर ही मान्य किया जावेगा।

9 अनुभव के संबंध मे अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे। अतः नियुक्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

10 पद क्रमांक 1 के लिए न्युनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है।

11 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के पश्चात का अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य की जावेगी।

12 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।

13 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

14 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

15 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध मे उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

16 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रूपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करे।

17 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

18 उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगें तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर वरीयता तैयार करते हुए कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जायेगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नही दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही कलेक्टर के अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी।

19 आवेदन पत्र दिनांक 11.08.2025 कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला जांजगीर-चांपा, (छ.ग.) पिन 495668 में निर्धारित तिथि तक प्राप्त होना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जावेगा। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदनों को ही स्वीकार किया जावेगा।

आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-

- वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
- न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक ।
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे।

उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

- वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। इन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनो में 10-10 अंक होंगे।
- अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव अंक एवं छ.ग. के मूल निवासी में प्राप्त अंकों के आधार पर वरियता सूची अनुसार 01 पद के विरूद्ध 15 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित की जावेगी। कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नही होगा।
- अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची मे समान अंक होने की दशा में उम्र मे वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित मे संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरुप यात्रा भत्ता देय होगा।

चयन हेतु आर्हताएं, मापदण्ड एवं अन्य शर्तेः- भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शी निर्देश मे चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम आर्हता में राज्य की आवश्यकताओं के आलोक में राज्य एवं जिले के लिए वित्तीय मापदंडो को भी ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तों का निम्नानुसार निर्धारण किया गया हैः-

क्रमशः

4.1 जिला स्तरीय (DHEW) हेतु शैक्षणिक अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभवः-

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
01	जेन्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग में कार्य करने की क्षमता	• जेण्डर से संबंधित कार्य का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षो का अनुभव • कम से कम 03 वर्ष का महिलाओं के मुद्दो का अनुभव	• स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। • अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।

नियुक्ति की अवधिः-

1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तद्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

2 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

3 इस पद की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत कार्य कमी की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

4 योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्तकर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम 1962 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

5 चयनित अभ्यर्थियों को जिला मेडिकल बोर्ड जांजगीर-चांपा में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र 01 माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।

(जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यकम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटों पर आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें।

1. आवेदित पद का नाम :---------------------------------
2. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :---------------------------------
   (अंग्रेजी में) :---------------------------------
3. पिता/पति का नाम :---------------------------------
4. स्थायी पता :---------------------------------
   :---------------------------------
5. (वर्तमान पता) :---------------------------------
   :---------------------------------
   :---------------------------------
   दूरभाष/मो.नं. :----------------------
6. जन्मतिथि (अंको में) :---------------------------------
   (शब्दो में) :---------------------------------
7. दिनांक 01/01/2023 को :- वर्ष-----माह-----दिन--------
   (पुष्टि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।)
8. लिंग पुरुष / महिला :---------------------------------
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति------वर्ग---------
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं ? हाँ / नही
    (यदि हों तो सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।)
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यत्ता :------------------------------
12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि व जीवित बच्चों की संख्या --------------
13. शैक्षणिक योग्यताः- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था/ वि.वि. का नाम	प्राप्तांक /पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

अन्य योग्यताः---------------------------

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें):-----------------------

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण	कार्य का प्रकार

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते है।

16. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक------------
17. रोजगार कार्यालय का नाम व जिला--------------------
18. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त/जारी) संलग्न करे।
19. निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त/जारी) संलग्न करे।
20. अनिवार्य संलग्नकों की सूचीः-
    1. जन्म तिथि हेतु 10 वीं की अंकूसची / प्रमाण पत्र
    2. 12 वीं अंकसूची
    3. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र
    4. मूल निवास प्रमाण पत्र।
    1. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।
    2. पहचान पत्र /आधार कार्ड/वोटर आईडी इत्यादि।
    3. एक लिफाफा जिसमे स्वयं का पता लिखा व 10 रू डाक टिकट सहित।
17. अन्य संलग्नकों का विवरण
    1--------------------------
    2-------------------------
    3-------------------------
    4------------------------
    5------------------------
    6------------------------

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

// घोषणा पत्र //

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पत्र के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता / रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

स्थान :-------------
दिनांक :------------

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर
पूरा नाम एवं पता---------------
मोबाइल नम्बर-----------------
ईमेल आईडी-------------------

कृषि संस्कृति का उत्सव

हरेली तिहार

सावन महिने के अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला "हरेली तिहार" इसबार 24 जुलाई दिन गुरूवार को मनाई जाएगी। इसे हरियाली अमावस्या और चितलागी अमावस्या भी कहते हैं। किसान परिवार इस दिन कृषि औजारों की पूजा करते है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी त्योहार और पर्वों की शुरुआत होती है। इस समय तक खेती में खरीफ फसल की प्रारंभिक कार्य, जैसे धान की बुआई और रोपा आदि का कार्य लगभग संपन्न हो चुका होता है। किसान इस दिन सुबह अपने गाय-बैलों को अच्छे से नहला धुला कर पूजा करते हैं। साथ ही गेहूं का आटा गूंथ उसमें खड़ा नमक डाल कर लोंदी बनाकर अंडी या खम्हार पेड़ के पत्ते में लपेट कर उन्हें खिलाते हैं।

हरेली पर्व मुख्य रूप से प्रकृति के प्रति आभार जताने का पर्व है। सावन माह में होने वाली बारिश इस दौरान अपने चरम पर पर होती है। चारों ओर हरियाली रहती है। किसान नई फसलों की तैयारी में जुट जाते हैं। किसान अपने खेत-खलिहानों को धरती माता मानते हैं। वे धरती माता, जल-नदी, पेड़-पौधों के प्रति आभार जताते हुए उनकी पूजा करते हैं।

चौखट पर लगाया जाता है नीम की टहनी

गरियाबंद जिले के ग्राम सोरिद के बैगा अमृत ध्रुव ने बताया कि हरेली के दिन घर की चौखट पर कील ठोकने और नीम की टहनी लगाने की परंपरा है। गांवों में यह रस्म लोहार निभाते हैं। नीम की टहनी लगाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। विज्ञान के शिक्षक जगदीश सिन्हा का कहना है कि नीम के होने से बारिश में पनपने वाले मच्छर और अन्य कीट दरवाजे के अंदर नहीं जाते। वहीं बारिश के समय संक्रमण का खतरा रहता है। नीम की पत्तियां औषधीय गुण के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है।

मौसमी बीमारी से पशुओं की रक्षा करता है

पशु रोग विशेषज्ञ डॉ पुरूषोत्तम का कहना है कि बैल और गाय की सेहत की चिंता किसान करते हैं। आटे में दसमूल और जंगल की गोंदली को मिलाकर खिलाया जाता है, ताकि उन्हें कोई बीमारी ना हो। बारिश के दिनों में पशुओं को कई तरह की बीमारी हो जाती है, यह औषधि इन बीमारियों को होने से बचाती है। हरेली त्योहार से किसानों और पशुधन के आराम के दिन शुरू होते हैं। पुराने जमाने में हरेली से पहले बोआई, बियासी का काम पूरा हो जाता था। फसल के पकने तक पशुओं को भी आराम मिलता था।

गेड़ी का आनंद लेते है बच्चें

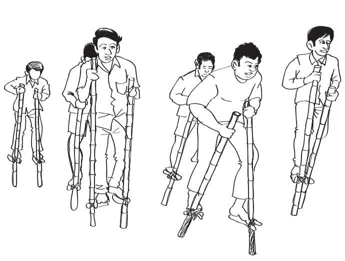

हरेली के दिन बच्चों के लिए गेड़ी बनाकर उनकी भी पूजा की जाती है फिर वे उस पर चढ़कर घूमने निकलते हैं। युवा वर्ग बैल दौड़, कबड्डी, नारियल फेंक के खेल खेलते हैं। महिलाएं नयी साड़ी पहन पूरे सोलह सिंगार करके सामूहिक रूप से सावन झूला, बिल्लस, खो-खो आदि खेल का आनंद लेती है।

हरेली का धार्मिक महत्व

हरेली पर्व से जुड़ी एक लोकजनश्रुति के अनुसार, यह पर्व राजा जनक द्वारा हल चलाने और माँ सीता के प्राकट्य की पौराणिक कथा से जुड़ा है। कथा के अनुसार, रावण ने ऋषि-मुनियों के रक्त से भरा घड़ा राजा जनक की सीमा में गाड़ दिया, जिससे राज्य में बारह वर्षों तक सूखा पड़ा। समाधान के लिए विद्वानों की सलाह पर रानी सुनयना ने सोने का हल खींचा और राजा जनक ने स्वयं हल चलाया। हल के सीत (नास) की ठोकर से वह घड़ा फूटा और माँ सीता का जन्म हुआ। उसी क्षण तेज वर्षा, हरियाली और सुख-समृद्धि फैल गई। इस खुशी में राजा व प्रजा ने हल व बैल की पूजा कर हरेली पर्व मनाया। तभी से यह पर्व हरियाली, कृषि और समृद्धि का प्रतीक बन गया और त्रेतायुग से आज तक परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है।

कृषि औजारों की पूजा

हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक पर्व है जब खेतों में जोताई-बोआई का काम हो जाता है, तब नागर-बैलों का काम भी पूरा हो जाता है। ऐसे में हरेली त्योहार के दिन सारे कृषि औजारों की अच्छी तरह साफ-सफाई करते हैं और खेती में सहयोग के लिए आभार मानते हुए उनकी पूजा करते हैं। यह हमारी संस्कृति है। खेतों में काम करते हुए कृषि औजारों में मिट्टी लग जाती है। बिना साफ-सुथरा किए औजारों को रख देंगे तो वे खराब हो जाएंगे और अगली बार उपयोग के लायक नहीं रह जाएंगे। साफ-सफाई और उचित रखरखाव से कृषि औजार लंबे समय तक सुरक्षित रहते है कृषि औजारों की पूजा की जाती है। यह पर्व सावन माह में अमावस्या को मनाया जाता है जब किसानों की बोनी और बियासी पूरी हो जाती है।

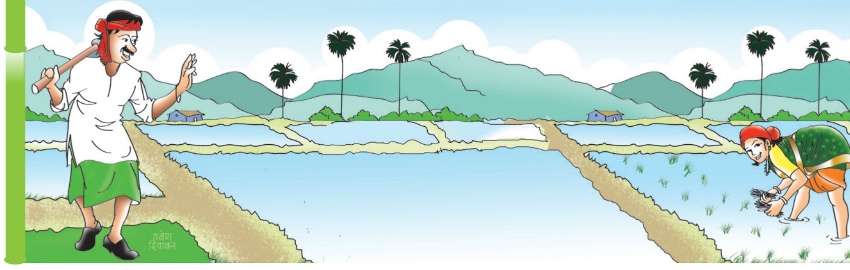

"हरेली हमारी समृद्ध कृषि परंपरा और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक है। यह त्यौहार भाईचारे, उत्साह और सामूहिकता को बढ़ावा देता है। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। सभी प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।..."

-विष्णु देव साय,
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

हरेली में पारंपरिक पकवान

हरेली पूजा में पारंपरिक पकवानों का भोग लगाया जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से गुरहा चीला, गुलगुला भजिया और बोबरा शामिल हैं।

गुरहा चीला

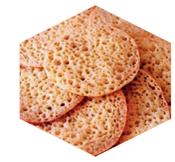

सामग्री: गेहूं का आटा, गुड़, पानी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, सौंफ, तेल

विधि: ▪ गुड़ को पानी में घोलें और गैस पर तब तक गर्म करें जब तक गुड़ पूरी तरह से घुल न जाए। गुड़ को पकाना नहीं है। ▪ गुड़ के घोल को ठंडा होने दें और फिर छान लें। ▪ एक बर्तन में गेहूं का आटा छान लें और गुड़ के ठंडे घोल को आटे में मिलाकर एक पतला पेस्ट तैयार करें। पेस्ट में कोई गांठें नहीं होनी चाहिए। ▪ काली मिर्च, बड़ी इलायची और सौंफ को कूटकर पेस्ट में मिलाएं। ▪ तवे को गर्म करें, थोड़ा तेल डालें और पेस्ट को तवे पर फैलाएं। दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंकें।

गुलगुला भजिया

सामग्री: गेहूं का आटा, गुड़, नारियल, सौंफ, काली मिर्च, बड़ी इलायची, चुटकी भर सोडा, तेल

विधि: ▪ गुड़ को पानी में घोलें और इसमें गेहूं का आटा मिलाएं। एक बर्तन में गेहूं का आटा छान लें और गुड़ के ठंडे घोल को आटे में मिलाकर एक पतला पेस्ट तैयार करें। पेस्ट में कोई गांठें नहीं होनी चाहिए। ▪ नारियल, सौंफ, काली मिर्च और बड़ी इलायची मिलाएं। ▪ घोल को हल्का करने के लिए चुटकी भर सोडा डालें। ▪ छोटे-छोटे आकार में तेल में फ्राई करें।

बोबरा

सामग्री: चावल, उड़द दाल, गेहूं का आटा, गुड़, काली इलायची, काली मिर्च, सौंफ, तेल

विधि: ▪ चावल और उड़द दाल को रात भर भिगोकर रखें। ▪ भीगे हुए चावल को पीसकर उसमें गेहूं का आटा मिलाएं। ▪ गुड़ को पानी में घोलकर छान लें और घोल में मिलाएं। ▪ काली इलायची, काली मिर्च और सौंफ मिलाएं। ▪ घोल को न गाढ़ा न पतला रखें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ▪ कढ़ाई में तेल गर्म करें और घोल को कटोरी में डालकर तलें।

-धनेश कुमार दिवाकर

बदलते बस्तर की नई तस्वीर

327
गांवों में नियद नेल्ला नार योजना से तीव्र विकास

350
स्कूलों में दोबारा शुरू हुई पढ़ाई

278
किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण

11
वृहद पुलों का निर्माण

140
किलोमीटर नई रेल लाइन विस्तार की स्वीकृति

1000
नए मोबाइल टावरों की स्थापना

5,500
से अधिक घरों का विद्युतीकरण

40,000
से अधिक युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत रोजगार अवसर

3202
नए बस्तर फाइटर्स के पदों का सृजन

5,500
प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता का भुगतान

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक - जवाहर लाल दरियो